

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021

Bihar Combined Entrance Competitive Exam.-2021

(B. C. E. C. E. – 2021)

विवरण पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र : 2021–2022

Modified in compliance with the directives of Deptt. of Science & Technology, Govt. of Bihar vide letter no.- वि.प्र.(VI) JEE (MAIN)-05/2020-2013/ पटना, दिनांक 09.08.2021



बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

(बिहार सरकार)

BCECE-2021 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

<u>क्रम संख्या</u>	<u>विवरण</u>	<u>कडिका</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1.	परिचय ।	1	3
2.	संस्थान एवं शाखा परिवर्तन ।	2	3
3.	विभिन्न संस्थानों की पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें ।	3	4
4.	परीक्षा के विषय एवं अवधि ।	4	4
5.	आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति ।	5	5-6
6.	शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य अर्हतायें ।	6	7
7.	आवेदन पत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क ।	7	7-8
8.	आवेदन प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश।	8	9-10
9.	संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में निर्देश ।	9	11-12
10.	संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त ।	10	13
11.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	11	13-14
12.	मार्गदर्शक पाठ्यक्रम ।	12	14
13.	अभियंत्रण / फार्मेसी धारा तथा समान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योगताएँ ।	13	14-15
14.	चिकित्सा धारा तथा समान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योगताएँ ।	14	15-16
15.	कृषि धारा में कृषि विश्वविद्यालय एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योगताएँ ।	15	16-17
16.	विभिन्न सारणियाँ (संस्थान / उपलब्ध सीटें)।	सारणी-1 से सारणी-4	18-22
17.	परिशिष्ट-1 (मार्गदर्शक पाठ्यक्रम)		23-37
18.	परिशिष्ट-2(i) एवं 2(ii) (दिव्यांगता से सम्बन्धित)		38-46
19.	परिशिष्ट-2(iii) (सैनिक कर्मचारी कोटा से सम्बन्धित)		47
20.	परिशिष्ट-3 (निवास / जाति / आय प्रमाण पत्र मॉडल प्रपत्र) ।		48-50
21.	परिशिष्ट-4 (EWS से सम्बन्धित मॉडल प्रपत्र) ।		51

LIST OF ENCLOSURES (CHECK LIST)

अनुलग्नकों की सूची (जाँच सूची)

Sl.N. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from Where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	<p>(i) Marks Sheet and Admit Card of I.Sc. or equivalent examination (only Admit Card in the case of candidates appearing in qualifying examination.) आई.एस.सी. या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र (Admit Card) (अगर अभ्यर्थी अर्हक (Qualifying) परीक्षा में सिर्फ सम्मिलित हुआ हो, तो केवल प्रवेश पत्र।)</p> <p>(*ii) In case of appearing candidates in the qualifying Examination, a certificate clearly mentioning the subjects and stating that the result of such examination has not been published. अर्हक (Qualifying) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के विषयों का उल्लेख करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र कि अर्हक परीक्षा का परीक्षाफल अभी प्रकाशित नहीं हुआ है ।</p>	<p>Relevant University / Council / Board or its equivalent सम्बन्धित विश्वविद्यालय / परिषद / पपद या समकक्ष ।</p> <p>Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य ।</p>
2.	Matric/ equivalent certificate and Admit Card as proof of age and Identity मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो ।	Board / Equivalent. बोर्ड / समकक्ष ।
3.	*Caste certificate *जाति प्रमाण पत्र	Issued by the Concerned C.O./ Revenue Officer of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी/ राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत।
4.	Income & Assesment Certificate to be produced by Economically Weaker Section आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र	Issued by concerned DM / SDM / C.O./ Revenue Officer of permanent resident in prescribed proforma. स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ. / राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्गत। स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
5.	Character certificate चरित्र प्रमाण पत्र	Head of Institution last attended. जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हों, उसके प्राधानाचार्य / प्राचार्य।
6.	*Income certificate (If needed, to be submitted at the time of Counselling) *आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार काउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है ।)	Issued by the Concerned C.O./ Revenue Officer of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत ।
7.	Application Form (Part-A) आवेदन-पत्र (पार्ट-A)	Duly filled in by the candidate and photo pasted on specified place on it. अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ एवं निर्दिष्ट स्थान पर फोटो चिपकाया हुआ ।
8.	Photograph (As per para 8.2 of the prospectus) फोटोग्राफ [विवरण पुस्तिका की कॉडिका 8.2 के अनुसार)	Self attested by the candidate. अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित ।
9.	* (i) Certificate for native of Bihar बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र	Issued by the Concerned C.O./ Revenue Officer of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत।

* **NOTE : To be furnished, wherever applicable.**

Sl.N. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from Where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
	<p>* (ii) Refugee Registration certificate शरणार्थी निबन्धन प्रमाण पत्र</p> <p>* (iii) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the Govt. of Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता बिहार सरकार के कर्मी (Employee) हैं ।</p> <p>* (iv) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of Govt of India and posted in Bihar or an employee of any Public Sector Undertaking of the Govt. of India and posted in Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता भारत सरकार के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं या भारत सरकार के किसी उपक्रम के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में कार्यरत हैं ।</p> <p>* (v) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the United Nations Organisation and that he/ she is at present posted in Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता युनाइटेड नेशन्स ऑर्गनाइजेशन के कर्मी (Employee) हैं एवं वे संप्रति बिहार में पदस्थापित हैं ।</p> <p>* (vi) Such candidates who have not studied in Bihar but claim eligibility on ground of permanent/ 10 years or more of continuous residence in Bihar in respect of their parents, must also furnish a certificate from the Institution where he/ she is studying for the qualifying examination indicating the permanent address as recorded in the Admission Register of that Institution. वे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार में शिक्षा नहीं प्राप्त की हो किन्तु जिनके माता / पिता बिहार में स्थायी / लगातार दस वर्ष या उससे अधिक समय तक रहने के कारण अपनी पात्रता (Eligibility) का दावा करते हों, अर्हक (Qualifying) परीक्षा में जिस संस्थान से सम्मिलित हो रहे हों उसके नामांकन रजिस्टर में उनका जो स्थायी पता दर्ज हो, उसके उल्लेख के साथ एतद् सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी दें ।</p> <p>* (vii) Certificate for Servicemen's Quota (SMQ), clearly mentioning the relationship of the candidate. सर्विस मैन क्वॉटा (SMQ) प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है ।</p> <p>* (viii) Certificate for Disabled Quota (DQ) दिव्यांगता क्वॉटा (DQ) प्रमाण पत्र ।</p>	<p>DM/ Refugee Registration Officer जिला दंडाधिकारी / शरणार्थी निबन्धन पदाधिकारी</p> <p>Employer Concerned. सम्बन्धित नियोजनकर्ता ।</p> <p>Employer Concerned. सम्बन्धित नियोजनकर्ता ।</p> <p>Employer Concerned. सम्बन्धित नियोजनकर्ता ।</p> <p>Principal of the Institution concerned. सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य ।</p> <p>As per para 5.7 of this prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-5.7 के अनुसार ।</p> <p>As per Para 5.6 of this prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-5.6 के अनुसार ।</p>

* NOTE : To be furnished, wherever applicable.

बिहार सरकार
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021
विवरण पुस्तिका

परिचय :

व्यावसायिक स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों, यथा फिजियोथेरेपी, आकुपेशनल थेरेपी महाविद्यालय / लोक स्वास्थ्य संस्थान के पारा मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम/ बी.एस.सी. (नर्सिंग) कॉलेज के बी.एस.सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम, फार्मसी, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, डेयरी तथा समान प्रकृति के अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु तथा राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में प्रवेश के लिए जहाँ राज्य सरकार के मनोनयन की अपेक्षा हो, वहाँ ऐसे मनोनयन हेतु चयन, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021 (Bihar Combined Entrance Competitive Exam.-2021) के परीक्षाफल से तैयार की गई मेधा सूची से योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर होगा, जिसका संचालन बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक सं.- वि.प्रा.(II) व^२-07/2017-1738/ पटना, दिनांक 22.07.2021 के आलोक में राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों अन्तर्गत संचालित स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु JEE (Main) परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के दो चक्रों की कॉउन्सेलिंग एवं एक समापन Mop-up कॉउन्सेलिंग के पश्चात् यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो इन रिक्त सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संचालित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बी.सी.ई.सी.ई.)-2021 के PCM Group के अभ्यर्थियों से मेधा-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों का आवंटन किया जायेगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

- (i) यह विवरण पुस्तिका “बी.सी.ई.सी.ई.-2021 की विवरण पुस्तिका” के नाम से जानी जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरन्त लागू होगी।

1.1 परिभाषायें :

- (i) “पाठ्यक्रम” से अभिप्राय है स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
- (ii) “परीक्षा” से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा।
- (iii) “पर्षद” से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- (iv) “सरकार” से अभिप्राय है बिहार सरकार।
- (v) “परीक्षा नियंत्रक” से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।
- (vi) “बिहार” से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है।
- (vii) **अभियंत्रण / फार्मसी धारा से अभिप्राय :**

अभियंत्रण / फार्मसी तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (शिक्षण संस्थानों की सूची-सारणी-1): केवल बिहार कोटा।

(viii) चिकित्सा धारा से अभिप्राय :

बिहार के फिजियोथेरेपी, आकुपेशनल थेरेपी महाविद्यालय / लोक स्वास्थ्य संस्थान के पारा मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम, बी.एस.सी. (नर्सिंग) कॉलेज के बी.एस.सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम, तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (शिक्षण संस्थानों की सूची- सारणी-2)।

(ix) कृषि धारा से अभिप्राय :

(क) बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के कृषि/ उद्यान एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के गव्य तकनीकी (डेयरी) / मत्स्य विज्ञान के पाठ्यक्रम तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (शिक्षण संस्थानों की सूची- सारणी-3)

2. संस्थान एवं शाखा परिवर्तन :

संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्षद द्वारा निर्णय लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा। उसके बाद संस्थान एवं शाखा

परिवर्तन-संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के निदेशकों/ कुलपतियों/ प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

3. विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें :

विभिन्न धाराओं के संस्थानों, उसके पाठ्यक्रमों तथा उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण सारणी 1 से 3 में दिया गया है। बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों/ शाखाओं/ विषयों की शिक्षा, सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के पूर्व दे दी जायेगी।

बी.टेक. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु पूर्व से निर्धारित जे.ई.ई. (मेन) परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के दो चक्रों की कॉउन्सेलिंग एवं एक समापन (MOP-UP) कॉउन्सेलिंग के पश्चात् यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो इन रिक्त सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परषद द्वारा संचालित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बी.सी.ई.सी.ई.)-2021 के PCM Group के मेधासूची के अनुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परषद द्वारा नामांकन का प्रावधान किया जायेगा।

4. परीक्षा के विषय एवं अवधि :

4.1 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एक चरण में सम्पन्न की जायेगी जिसमें जैसे सभी आवेदक, जिन्हें पात्रता प्राप्त होगी, सम्मिलित हो सकेंगे। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र सामान्यतः इन्टरमीडिएट (I.Sc./ +2 / I.Sc. Ag. / समकक्ष) स्तर के होंगे (देखें कॉडिका- 9.5 तथा 12)।

4.2 जो आवेदक इस विवरण पुस्तिका की कॉडिका 13.5 (क) में वर्णित शैक्षणिक अर्हता हेतु वांछित विषयों में I.Sc. या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों या चालू सत्र में सम्मिलित हो रहे हों तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों में परीक्षा देने के इच्छुक हों उन्हें पी०सी०एम० (PCM) ग्रुप कहा जायेगा और उनको इस परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा।

4.2.1 जो आवेदक इस विवरण पुस्तिका की कॉडिका 14.4(क) में वर्णित शैक्षणिक अर्हता हेतु वांछित विषयों में I.Sc. या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों या चालू सत्र में सम्मिलित हो रहे हों तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में परीक्षा देने के इच्छुक हों, उनको पी०सी०बी० (PCB) ग्रुप कहा जायेगा और इस परीक्षा में उनको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

4.2.2 जो आवेदक इस विवरण पुस्तिका की कॉडिका-15.4 में वर्णित शैक्षणिक अर्हता हेतु I.Sc. Agriculture परीक्षा में उत्तीर्ण हो या चालू सत्र में सम्मिलित हो रहे हों तथा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान विषयों में परीक्षा देने को इच्छुक हो उनको कृषि ग्रुप कहा जायेगा और उनको इस परीक्षा में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान विषयों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

4.2.3 जो आवेदक इस विवरण पुस्तिका की उपरोक्त कॉडिका 4.2.1 एवं 4.2.2 में से प्रत्येक में वर्णित शैक्षणिक अर्हता हेतु वांछित विषयों में I.Sc. या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों या चालू सत्र में सम्मिलित हो रहे हों तथा जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित तथा जीव विज्ञान विषयों में परीक्षा देने के इच्छुक हों उन्हें पी०सी०एम०बी० (PCMB) ग्रुप कहा जायेगा तथा उनको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं जीव विज्ञान विषयों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पी०सी०एम०बी० ग्रुप के आवेदकों को पी०सी०एम०/ पी०सी०बी० ग्रुप के आवेदकों से अधिक परीक्षा शुल्क देना होगा।

4.3 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा :

4.3.1 संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के विषय तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी :

क्रम	विषय	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि एवं समय	परीक्षा की प्रस्तावित तिथि
(i)	भौतिक विज्ञान	400	1 ½ घंटे (9.00 पूर्वा. से 10.30 पूर्वा.) रविवार
(ii)	रसायन विज्ञान	400	1 ½ घंटे (11.00 पूर्वा. से 12.30 अप.) रविवार
(iii)	गणित	400	1 ½ घंटे (2.00 अप. से 3.30 अप.) रविवार
(iv)	जीव विज्ञान	400	1 ½ घंटे (4.00 अप से 5.30 अप.) रविवार
(v)	कृषि विज्ञान	400	1 ½ घंटे (11.00 पूर्वा. से 12.30 अप.) सोमवार

उपरोक्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान तथा कृषि विज्ञान में से प्रत्येक विषय में चार-चार अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जायेगी।

4.3.2 भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित में प्रप्ताकों के योग के आधार पर PCM ग्रुप के लिए एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान

तथा जीव विज्ञान में प्राप्तांकों के योग के आधार पर PCB ग्रुप तथा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में प्राप्तांकों के योग के आधार पर **कृषि ग्रुप** के लिए अलग-अलग मेधा सूचियाँ बनाई जाएँगी।

- (क) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में प्राप्तांकों के योग पर आधारित मेधा सूची से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए मेधा-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध स्थानों को भरा जायेगा डेयरी टेक्नोलॉजी।
- (ख) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्तांकों के योग पर आधारित मेधा सूची से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर स्थानों को भरा जाएगा : **फिजियोथेरेपी एवं आकुपेशनल थेरेपी/ लैब.टेक., ओ.टी. असिस्टेन्ट, एक्स-रे टेक., ऑफथैलमिक असिस्टेन्ट और ऑर्थोटिक्स एवं प्रोस्थेटिक्स, बी.एस.सी. (नर्सिंग) एवं मत्स्य विज्ञान।**
- (ग) रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में प्राप्तांकों के योग पर आधारित मेधासूची से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध स्थानों के 50% को भरा जायेगा : **कृषि / उद्यान।**
- (घ) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान या गणित में प्राप्तांकों के योग पर आधारित संयुक्त मेधा सूची से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर स्थानों को भरा जायेगा :
कृषि एवं उद्यान (शेष 50%) / फार्मसी।

5. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

- 5.1 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं सीट आवंटन निमित्त बिहार सरकार द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र ऑन लाईन submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक निर्धारित / लागू किये गये आरक्षण सम्बन्धी नियमों/ नीतियों का पालन किया जायेगा।
- 5.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की शाखावार सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन पत्र ऑन लाईन submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि को लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
i.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %
ii.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %
iii.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %
iv.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	12 %
v.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	3 %
vi.	* आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (Reserved for Economically Weaker Sections : EWS)	10 %

शेष 40 % अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : UR) की होगी।

नोट - * आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या- पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

- 5.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।
- 5.4 आवेदन प्रपत्र ऑन लाईन submit करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत **SC/ST/EBC/BC** की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) निर्धारित की जायेगी।
- 5.5 i. आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर अनारक्षित (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें अनारक्षित (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपने सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेरिट पर पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।
- ii. इस सन्दर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करती है तो विचारोपरान्त उसे अद्यतन रूप से लागू किया

जा सकता है।

5.6 दिव्यांग कोटा (Disabled Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें:

5.6.1 दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की 5 (पाँच) प्रतिशत सीटें दिव्यांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

इस क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय राज्य सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन नियम/ अधिसूचना लागू होगा।

5.6.2 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) में निर्धारित स्थान पर अपना दावा अंकित कर बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र कॉउन्सेलिंग के समय उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साइज का फोटो चिपका होना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की कोटि, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के स्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटने-बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र कब तक के लिये मान्य है की अवधि / तिथि का उल्लेख होना चाहिए।

दिव्यांग कोटि के वैसे अभ्यर्थी जो Permanent loss of limbs या Cerebral palsy से प्रभावित होने के कारण स्वयं लिखने में सक्षम नहीं हैं और उनके पास इस आशय का प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध है, उन्हें ऑन लाईन आवेदन करते समय यथा स्थान श्रुतिलेखक उपलब्ध कराने का अनुरोध करना आवश्यक होगा।

5.6.3 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक उन्हीं पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जिसके लिये स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरों जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरों जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा [(देखें परिशिष्ट-2(I) एवं 2(II)]।

5.7 सैनिक कर्मचारी कोटा (Service Men's Quota, i.e., SMQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

5.7.1 बिहार राज्य निवासी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/अविवाहित पुत्रियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित (Service Men's Quota) हैं, जिनका विवरण साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय दिया जायेगा।

नोट : सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 1647 दिनांक 08.06.2010 के अनुसार नामांकन हेतु सीट आवंटन किया जायेगा। देखें परिशिष्ट-2 (III)।

5.7.2 इन SMQ सीटों पर नामांकन बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को दी जायेगी। इन SMQ की सीटों के लिए योग्य पाये गये आवेदकों द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा- 2021 में प्राप्तियों के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जायेगा। उपर्युक्त कोटि के छात्रों के अभाव में सीटें खाली रहेंगी।

इन SMQ की आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ही निम्नांकित प्रमाणपत्रों की मूल प्रति कॉउन्सेलिंग में प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनके लिए SMQ संवर्ग के अन्तर्गत नामांकन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी हालत में बाद में प्रस्तुत SMQ संबंधित प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

• **सेवारत/ भूतपूर्व/ सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी के पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत करना आदेशात्मक (mandatory) है।**

- I. कार्यरत सैनिक कर्मचारी के मामलों में, उनके सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र / पुत्री होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, उनके नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत।
- II. भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र / पुत्री होने से सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, उनके सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत।

5.7.3 भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex-Service Men) कौन है?

As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

- (i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.
- (ii) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Militia are also now treated as "Ex-Service Men".

(iii) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence. The Categories are :

- Pension Holders of the continuous embodied service.
- Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
- Family Pension Holders.
- Gallantry Award Winners.

6. शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएँ तथा सूचना :

6.1 विभिन्न पाठ्यक्रमों/ संस्थानों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएँ निर्धारित हैं। आवेदकों की सुविधा हेतु इस विवरण पुस्तिका में इनका उल्लेख निम्नांकित प्रकार हैं :

- अभियंत्रण / फार्मैसी धारा के लिए कंडिका 13.5 (क) देखें।
- चिकित्सा धारा के लिए कंडिका 14 देखें।
- कृषि धारा में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के पाठ्यक्रमों के लिए कंडिका 15 देखें।

6.2 आवेदक कृपया उपर्युक्त सूचनाओं का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लेंगे।

7. आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क :

बी.सी.ई.सी.ई.-2021 में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका (Prospectus) पर्षद के Website : bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पर्षद के उक्त वेबसाइट पर जा कर "Online Portal of BCECE-2021" Link पर Click कर "Apply for BCECE-2021 Online Application" link पर click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

i. **Step-One (Registration) :**

इस परीक्षा हेतु Registration (निर्बंधन) के लिए सारी सूचनाएँ (Information) Step-1 के अंतर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही-सही अभ्यर्थी द्वारा भर कर देना होगा। अभ्यर्थी Registration करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही email ID एवं Mobile No. का इस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि Registration से संबंधित सूचनाएँ उसी email ID एवं Mobile No. पर भेजा जाएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी को एक SMS प्राप्त होगा। प्राप्त किये गये email एवं sms में एक Activation Code भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल अभ्यर्थी अपने Account को Activate करने के लिए करेंगे। अभ्यर्थी अपने Account को Activate करने हेतु Activate Your Account बटन पर Click करें एवं अपना email ID एवं प्राप्त किये गये Activation Code को डालने के बाद Submit बटन पर Click करें। Account Activate होने के बाद अभ्यर्थी Sign In बटन पर Click करें एवं अपना Email ID एवं Password डालकर Sign In कर आगे की प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन प्रपत्र में भरे गए Password की गोपनीय रखें अन्यथा पर्षद किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया email ID ही उनका User Name होगा।

ii. **Step-Two (Personal Information) :**

सफलतापूर्वक Registration एवं अपने Account को Activate कर पुनः अपने Account में Sign In करने के उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से संबंधित required entries पूरी तरह भरें एवं Save & Continue बटन पर Click करें।

iii. **Step-Three (Upload Photo & Signature) :**

Personal Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन / श्वेत-श्याम पासपोर्ट साईज फोटों एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कम्प्यूटर स्क्रीन में दिये गये निर्देश के अनुसार Scan कर निर्धारित स्थान पर Upload करें। फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटों खिंचवाने की तिथि अंकित हो) खिंचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद Save & Continue बटन पर Click करें।

iv. **Step-Four (Educational Information) :**

Scan किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भर कर Save & Continue बटन पर Click करें।

v. **Step-Five (Preview your Application) :**

Educational Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच लें। यदि जांच के क्रम में Step-Two, Step-Three एवं Step-Four में दी गयी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को Back to Edit बटन पर Click कर अपने Information को सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा पुनः दिये गये सूचनाएँ Update हो सकें।

भरे गए आवेदन प्रपत्र के Preview में सारी सूचनाएँ सही है तो अपना Declaration देकर Confirm & Submit बटन पर Click करें, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कर सकें।

vi. **Step-Six (Payment of Examination Fee) :**

अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियों के Preview को देखकर Submit करने के बाद Proceed to Payment बटन पर Click कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार Payment की प्रक्रिया को पूरी करें। जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाया नहीं जायेगा।

परीक्षा शुल्क जमा करने की निम्नांकित दो प्रक्रियाएँ हैं ;

a. **बैंक चालान के माध्यम से भुगतान :** अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode से Offline / NEFT Challan Option को Select कर अपना Challan Download कर Print निकाल ले एवं

किसी भी बैंक में निर्धारित तिथि तक जाकर NEFT के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को Update होने में लगभग 1 (एक) घंटे का समय लग सकता है। अगर उनका Payment Update नहीं होता है तो वे कम से कम 24 घंटे का इंतजार करें। अगर तब भी Payment Update नहीं होता है तो निर्धारित तिथि से पहले पर्षद कार्यालय आकर संपर्क करें। चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा।

b. Online Payment : अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online यथा; क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode से Online Option को Select कर क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा।

c. उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है;

- (क) जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों और PCM (Physics, Chemistry & Mathematics) अथवा PCB (Physics, Chemistry & Biology) अथवा कृषि गुप यथा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (CBA) अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (PCA) अथवा गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (MBA) अथवा गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (MCA) में से किसी एक सब्जेक्ट गुप में परीक्षा देना चाहते हैं उनको 1000/- (एक हजार) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग (DQ) कोटि के लिए एक Subject Group में परीक्षा हेतु 500/- (पाँच सौ) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- (ख) सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अगर चारों विषयों यथा PCMB (Physics, Chemistry, Mathematics & Biology) Subject Group में परीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें 1100/- (एक हजार एक सौ) रुपया का भुगतान परीक्षा शुल्क के रूप में करना होगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग (DQ) कोटि के अभ्यर्थी को चारों विषयों अर्थात् PCMB (Physics, Chemistry, Mathematics & Biology) गुप में परीक्षा के लिए 550/- (पाँच सौ पचास) रुपये का परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

vii. Step-Seven (Download Part-A & Part-B) : पर्षद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ एवं पर्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया Registration No. होगा, जिसका उपयोग कॉउन्सेलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है।

- नोट :** (a) Download किये गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) को पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को कॉउन्सेलिंग के समय पर्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख लें।
- (b) उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अन्तिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद Application Form में परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।
- (c) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा।
- (d) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

viii. (i) यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना / फोटो / हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक 09.09.2021 से दिनांक 11.09.2021 तक दिया जाएगा।

(ii) Online Application Form में सुधार (Edit) केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर का सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो।

(iii) अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु Application के Home Page पर जाकर Sign In button को Click कर अपने email ID एवं Password को डालें एवं Submit बटन पर Click कर अपने Account में Login करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा Edit किये गए Entries Update हो सकें एवं पुनः Edited आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें।

ix बी.सी.ई.सी.ई.-2021 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

- | | |
|--|---|
| (i) Online Registration Starting Date | : 15.08.2021 |
| (ii) Online Registration Closing Date | : 05.09.2021 (11:59 P.M.) |
| (iii) Last date of payment through Challan and submission of Online Application form of Registered candidate | : 07.09.2021 (Upto Banking hour) |
| (iv) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card and submission of the Online Application Form of Registered Candidate . | : 08.09.2021 (11:59 P.M.) |
| (v) Online Editing of Application Form | : 09.09.2021 to 11.09.2021 (11:59 P.M.) |
| (vi) Uploading of Online Admit Card | : यथासमय सूचित किया जायेगा। |
| (vii) Proposed Date of Examination | : यथासमय सूचित किया जायेगा। |


x. अपूर्ण रूप से भरा गया या बदलाव अथवा छेड़-छाड़ किया गया Online आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

8. आवेदन प्रपत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश :

8.1 आवेदन पत्र / प्रपत्र अंग्रेजी में भरें। हस्ताक्षर एवं घोषणा के अलावा सभी जगहों में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) का प्रयोग करें। केवल घोषणा एवं हस्ताक्षर के लिये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) का प्रयोग वर्जित है।

8.2 फोटो ग्राफ :

(क) आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के निर्दिष्ट स्थानों पर स्कैन / चिपकाये गये फोटो का आकार पासपोर्ट साईज (3.5 से.मी. x 4.5 से.मी.) रंगीन, उच्च कंट्रास्ट एवं एक ही स्नैप (Snap) से बना या एक ही तरह का होना चाहिए। फोटो को सामने से एक तख्ती (Placard) के साथ, जिस पर आवेदक का नाम, तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, के साथ खिंचवाये गये हो, को ही प्रयोग में लिया जाना आवश्यक है। डिजिटल या अन्य विधि से खिंचावाया गया फोटो जो कुछ समय के बाद धूमिल या विलुप्त हो जाती है उसे चिपकाना पूर्णतया वर्जित है।



फोटो खिंचवाने की तिथि 01.01.2021 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

(ख) प्रयोग में लाये गये फोटोग्राफ में दोनो कान नजर आने चाहिए। फोटोग्राफ अस्पष्ट (ओभर एक्सपोज्ड / अन्डर एक्सपोज्ड या डार्क) नहीं होने चाहिए। फोटो खिंचवाते समय टोपी (कैप) / काला या रंगीन चश्मा का प्रयोग या अन्य प्रकार से पहचान छुपाने के प्रयत्न भी वर्जित है।

(ग) Downloaded आवेदन प्रपत्र (पार्ट-बी) पर फोटो चिपकाने के बाद अभ्यर्थी हिन्दी तथा अंग्रेजी में अपना पूरा हस्ताक्षर आवेदन पत्र (पार्ट-बी) के निर्दिष्ट स्थान पर करें।

8.3 नाम :

अभ्यर्थी अपना नाम आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के सभी निर्धारित स्थानों पर माध्यमिक परीक्षा समिति/ समकक्ष परीक्षा संस्थान/ विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड की वर्तनी (Spelling) के अनुसार ही लिखें।

8.4 पता :

स्थायी पता वह होना चाहिये जो आवेदक के आवासीय प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो।

8.5 कोटि (Category) :

आरक्षण हेतु उचित कोटि में स्थान पाने के लिए आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के निर्धारित स्थान पर उचित कोटि अवश्य अंकित करें तथा आवेदन प्रपत्रों पर इसके लिए निर्धारित स्थान में निम्नलिखित संकेत (code) के अनुसार भरें :

कोटि (Category)	संकेत (Code)
(i) अनारक्षित कोटि (Unreserved) (वैसे आवेदक जो SC/ ST/ EBC/ BC/ EWS में से किसी आरक्षण कोटि में दावा नहीं करते हों)	UR
(ii) Scheduled Caste	SC
(iii) Scheduled Tribe	ST
(iv) Extremely Backward Caste	EBC
(v) Backward Caste	BC
(vi) Economical Weaker Section	EWS

नोट : आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls i.e. RCG) के लिये कडिका 5.2, दिव्यांग कोटा (Disabled Quota i.e. DQ) के लिये

कॉडिका 5.6 एवं सैनिक कर्मचारी कोटा (Service Men's Quota i.e. SMQ) के लिये कॉडिका 5.7 देखें ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों द्वारा आरक्षण का लाभ लेने हेतु, अपने आवेदन पत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) फार्म में जिस आरक्षण कोटि को अंकित किया गया हो उसको सम्पुष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा आरक्षित कोटि के लिए विचार नहीं किया जायेगा । इसे निर्धारित संलग्न प्रपत्र के अनुसार ही होना चाहिए।

- 8.6** आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आरक्षण के दावा के लिए आरक्षण की जिस कोटि (category) को अंकित करेंगे, वही कोटि परीक्षा एवं सीट / संस्थान के आवंटन हेतु मान्य होगी। एक बार अंतिम रूप से आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद किसी प्रकार का कोटि परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई आवेदक अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र कॉउन्सेलिंग के समय संलग्न नहीं करता है अथवा निर्धारित स्थान पर आरक्षण कोटि अंकित नहीं करता है, तो उसे सामान्य [Unreserved (UR)] कोटि में समझा जायेगा। आवेदक की किसी गलती/ असावधानी के फलस्वरूप उसके किसी दावा के हनन होने का उत्तरदायित्व उसी आवेदक का होगा। यदि आवेदन प्रपत्र, पार्ट-A एवं पार्ट-B में भिन्न-भिन्न कोटि अंकित होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित कोटि ही अंतिम रूप से मान्य होगी।
- 8.6.1** यदि आवेदन पत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) की विभिन्न प्रविष्टियों में कोई विसंगति पायी जाती है तो आवेदन प्रपत्र (पार्ट-ए) की प्रविष्टि ही अंतिम रूप से मान्य होगी ।

8.7 पिता/ अभिभावक का विवरण :

पिता या अभिभावक (अगर पिता जीवित न हो तब) का नाम, व्यवसाय का नाम तथा संस्था का नाम जहाँ कार्यरत हैं, भरें। उदाहरण के लिए, अगर पिता/ अभिभावक, सरकारी सेवा, एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर जो राज्य सरकार का संस्थान है, में कार्यरत हैं, तो पिता/ अभिभावक के नाम के साथ व्यवसाय के लिए सरकारी सेवा तथा स्थान के लिए एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर लिखना होगा। अभिभावक के नाम के साथ उससे आवेदक का संबंध भी लिखना होगा ।

8.8 जन्म-तिथि :

जन्म-तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्रमवार तिथि, महीना तथा वर्ष अंग्रेजी अंकों में लिखें। जन्म-तिथि वही हो जो माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक परीक्षा) या समकक्ष दसवीं परीक्षा के लिए अभिलिखित हो ।

8.9 लिंग (Sex) :

निम्नांकित के अनुसार निर्धारित स्थान में लिंग अंकित करें :

Male	-	M
Female	-	F

8.10 आवासीय विवरण :

आवेदनपत्र में उचित आवासीय विवरण भरें। इस संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि आवेदक आवासीय विवरण में उल्लिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प की पुष्टि करते हों [देखें कॉडिका 13.5 (ख) / 14.4 (ग) / 15.4 (ख)]

8.11 घोषणा :

आवेदक को अपनी घोषणा स्वहस्तलिपि में लिख कर आवेदन प्रपत्र के पार्ट-बी के निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। घोषणा एवं हस्ताक्षर के लिये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) का प्रयोग वर्जित है ।

आवेदन पत्र (पार्ट-बी) में अपेक्षित स्थान पर आवेदक द्वारा अपनी हस्तलिपि में लिखी गयी घोषणा (Declaration) उनके पिता/ अभिभावक (यदि पिता जीवित न हों) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिये।

8.12 जिला कोड :

आवेदन प्रपत्र (पार्ट-ए) में निर्धारित स्थानों पर जिला का कोड निम्नलिखित के अनुसार भरें :

क्रमांक	जिला	कोड	क्रमांक	जिला	कोड
1.	पटना	01	22.	समस्तीपुर	22
2.	भोजपुर	02	23.	मधुबनी	23
3.	बक्सर	03	24.	सहरसा	24
4.	रोहतास	04	25.	मधेपुरा	25
5.	भभुआ	05	26.	सुपौल	26
6.	नालन्दा	06	27.	पूर्णिया	27
7.	गया	07	28.	कटिहार	28
8.	नवादा	08	29.	किशनगंज	29
9.	औरंगाबाद	09	30.	अररिया	30

10. अरवल	10	31. भागलपुर	31
11. जहानाबाद	11	32. बांका	32
12. सारण	12	33. मुंगेर	33
13. सिवान	13	34. बेगुसराय	34
14. गोपालगंज	14	35. खगड़िया	35
15. वैशाली	15	36. जमुई	36
16. मुजफ्फरपुर	16	37. लखीसराय	37
17. सीतामढ़ी	17	38. शेखपुरा	38
18. शिवहर	18	39. <u>बिहार के बाहर</u>	
19. पूर्वी चम्पारण	19	(i) झारखंड	98
20. पश्चिमी चम्पारण	20	(ii) अन्य सभी स्थान	99
21. दरभंगा	21		

8.13 जाति प्रमाणपत्र :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र कॉउन्सेलिंग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र में प्रमाणित जाति आवेदक के आवेदन पत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) में अंकित आरक्षण कोटि के लिये सुसंगत होना चाहिए।

8.14 प्रवेश पत्र :

(क) प्रवेश पत्र आवेदन प्रपत्र (पार्ट-ए) में दिये गये विवरण के अनुसार कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया जायेगा। अतः उसे सावधानी पूर्वक दिये गये निर्देश के अनुसार भरें।

(ख) आवेदन प्रपत्र के पार्ट-ए में आवेदक द्वारा भरी गई विवरण को आवेदन प्रपत्र के पार्ट-बी में भरे गये विवरण के बिल्कुल अनुरूप एवं पूर्णरूप से सुसंगत होना चाहिए।

आवेदन प्रपत्र (पार्ट-ए) में भरी गई विवरणी के आवश्यक तथ्यों को ही परीक्षा के लिए निर्गत, प्रवेश पत्र (एडमिट-कार्ड) में अंकित किया जायेगा। आवेदक द्वारा घोषित इन तथ्यों के सम्बन्ध में किसी त्रुटि का सुधार परीक्षा के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.15 प्रवेश पत्र की प्राप्ति :

सभी अर्हता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र (Admit Card) पर्षद के वेब साईट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8.16 इस विवरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-1 एवं 2 के अनुसार आवेदक के लिये लागू सभी मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विद्यालय / महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र (School / College Leaving Certificate) नामांकन के समय देना आवश्यक है।

9. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में निर्देश :

9.1 प्रवेश पत्र :

(क) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद उपयुक्त पाये गये आवेदकों के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर्षद के Website: bceceboard.bihar.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है, जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य (valid) होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह उसकी पीठ पर लिखे निर्देश अवश्य पढ़ लें।

(ख) अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र (Admit Card) निम्न विधि से प्राप्त कर सकते हैं;
अभ्यर्थी पर्षद के Website : bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर Download Admit Card of BCECE-2021, Link पर Click करेंगे, तदुपरान्त अभ्यर्थी अपना Portal के निर्धारित स्थान पर अपना Registration No. एवं जन्म तिथि डालकर Submit Button पर Click कर Admit Card Download कर लें।

अथवा

अपना Email Id एवं Password डालकर Sign In Button पर Click कर Login करें एवं Download Admit Card बटन पर Click कर Download कर लें।

(ग) प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रवेश पत्र (Admit Card) को पाते ही उसमें अंकित सभी सूचनाओं / प्रविष्टियों की पूरी जाँच कर लें और उनमें यदि कोई त्रुटि हो तो परीक्षा नियंत्रक, बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा

के निकट, पटना में परीक्षा की तिथि से 5 (पाँच) दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच आकर अनिवार्य रूप से वांछित संशोधन हेतु सम्पर्क करें, अन्यथा इस तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और प्रवेश पत्र (Admit Card) किसी प्रकार की त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

प्रवेश पत्र पर परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पूरा हस्ताक्षर करना आवश्यक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर हर पाली में वीक्षक के समक्ष, परीक्षा केन्द्र की प्रति पर भी होना आवश्यक है।

- 9.2 प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार देंगे।
- 9.3 परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले बॉल प्वाइंट कलम से अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर-पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।
- 9.4 परीक्षा की तिथि, विषय, प्रश्न पत्र, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि तथा समय :
- 9.4.1 परीक्षा : इस विवरण पुस्तिका की कडिका 4.3 देखें।
- 9.5 परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम :
- परीक्षा के लिए विषयानुसार पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 में दिए गये हैं। पाठ्यक्रम बंधनकारी नहीं हैं केवल मार्गदर्शक हैं। परीक्षा में सामान्यतया प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। इस विवरण पुस्तिका की कडिका 12 देखें।
- 9.6 परीक्षा केन्द्र :
- परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उनके प्रवेशपत्र पर अंकित रहेगा।
- 9.7 मेधा सूची :
- 9.7.(i) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में प्राप्त अंकों के योग अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर क्रमशः PCM एवं PCB ग्रुप के लिए अलग-अलग मेधा सूचियाँ बनाई जायेंगी। इसके अतिरिक्त रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (कृषि ग्रुप) के लिए एक अलग मेधा-सूची बनायी जायेगी।
- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में प्राप्त अंकों के योग पर आधारित मेधा सूची से कडिका 4.3.2 (क) एवं 4.3.2 (घ) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता- सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध जगहों को भरा जायेगा।
- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग पर आधारित मेधा सूची से कडिका 4.3.2 (ख) एवं 4.3.2 (घ) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध जगहों को भरा जायेगा।
- रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग पर आधारित मेधासूची से कडिका- 4.3.2(ग) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों की 50 % (पचास प्रतिशत) जगहों को भरा जायेगा।
- 9.8 परीक्षाओं के उत्तर पत्रकों के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation), दुबारा जोड़ (Retotalling) आदि के लिए आवेदन नहीं लिये जायेंगे और न कोई इससे संबंधित पत्राचार ही स्वीकार्य होगा।
- 9.9 यदि दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का जोड़ समान हो तो उनका मेधा क्रम निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा:

क्रम	स्तर क्रम	चिकित्सा धारा	कृषि धारा (फार्मेसी के साथ)	कृषि धारा की आरक्षित 50% सीटों (कृषि/ उद्यान)
1.	प्राप्तांकों का जोड़ समान होने पर	जीव विज्ञान के प्राप्तांक के अनुसार	जीव विज्ञान (PCB)/ गणित (PCM)के प्राप्तांक के अनुसार	कृषि विज्ञान के प्राप्तांक के अनुसार
2.	स्तर (1) समान होने पर	रसायन विज्ञान के प्राप्तांक के अनुसार	रसायन विज्ञान (PCB) / भौतिक विज्ञान (PCM) के प्राप्तांक के अनुसार	जीव विज्ञान / रसायन विज्ञान के प्राप्तांक के अनुसार
3.	स्तर (2) समान होने पर	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो

- 9.10.1 जो आवेदक अपने आवेदन प्रपत्रों में या परीक्षा के समय या उत्तर पत्रकों में या प्रतियोगिता परीक्षा/ नामांकन की किसी भी प्रक्रिया अथवा नामांकन के पश्चात अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनको परीक्षा/ नामांकन प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी एवं उनका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसे

निष्कासित आवेदकों को बी.सी.ई.सी.ई. की अगली तीन प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के अनुसार किसी परीक्षा में अनुचित तरीके से अभिप्रेत है कि किसी लिखित या मुद्रित सामग्री से या किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में सहायता लेना या देना अथवा सहायता लेने या देने का प्रयास करना।

9.10.2 परीक्षा केन्द्र / परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन / इलेक्ट्रॉनिक गजेट/ इलेक्ट्रॉनिक डिभाईस ले जाना पूरी तरह प्रतिबन्धित है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में अगर किसी भी परीक्षार्थी / अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक गजेट / इलेक्ट्रॉनिक डिभाईस / मोबाइल फोन के प्रयोग एवं उसके प्रयोग से कदाचार करने पर उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

9.11 मेधा सूची/ परीक्षाफल तैयार करने में किसी प्रकार का टंकण या कम्प्यूटर या किसी अन्य प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

10. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त :

10.1 (i) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त संबंधित मेधा सूची के अनुसार आवेदकों को साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाया जायेगा। साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग की तिथि, समय तथा स्थान की सूचना उचित समय पर बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के वेब साइट "**bceboard.bihar.gov.in**" पर दी जायेगी। मेधा-सह-विकल्प के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके मेधाक्रम पर उपलब्ध संस्थान / पाठ्यक्रम में से स्वेच्छानुसार किसी एक संस्थान / पाठ्यक्रम के चयन का अवसर दिया जायेगा।

(ii) चयनोपरान्त आवंटन आदेश उपलब्ध रिक्तियों एवं बिहार सरकार के आवेदन प्रपत्र भरने हेतु प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नियम के अनुसार निर्गत किया जायेगा (देखें कडिका-5.5(i))। आरक्षित वर्ग में नामांकन हेतु प्रत्येक संस्थान को एक इकाई माना जायेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा स्वेच्छानुसार मेधा-सह-विकल्प के आधार पर संस्थान / पाठ्यक्रम के चयन उपरान्त सीट आवंटन के पश्चात् अथवा हुए आवंटन पर नामांकन नहीं लेने अथवा नामांकन लेकर छोड़ देने के उपरान्त ऐसे अभ्यर्थियों को आगे की कॉउन्सेलिंग में उन्हें पूर्व आवंटित संस्थान / पाठ्यक्रम को पुनः आवंटित नहीं किया जा सकेगा।

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की छान-बीन एवं जाँच के पश्चात अन्तिम रूप से योग्य पाये गये सभी अभ्यर्थियों को आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि तक डॉक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर निश्चित रूप से चयनित संस्थान / पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेना होगा।

(iv) परीक्षाफल / मेधासूची की तैयारी एवं प्रकाशन के दौरान छपाई में किसी प्रकार की भूल के आधार पर उम्मीदवार नामांकन हेतु आवंटन के लिये हकदार नहीं होंगे।

10.2 नामांकन शुल्क :

चयनित आवेदकों को नामांकन के लिये कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी, इसकी यथासम्भव जानकारी साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय दे दी जायेगी।

11. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

11.1 परीक्षा-संबंधी सभी कार्य एवं मेधा सूची इत्यादि का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये, परीक्षा-संबंधी सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।

11.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।

11.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा।

11.4 महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (College Leaving Certificate) नामांकन के समय लाना पड़ेगा।

11.5 चिकित्सा/ कृषि धाराओं में नामांकन के लिए आवेदनपत्र में ही विहित स्थान पर उल्लेख कर दें कि वे -

- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित (PCM) अथवा
- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (PCB) अथवा
- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं जीव विज्ञान (PCMB)
- रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (CBA) अथवा
- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (PCA) अथवा
- गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (MBA) अथवा
- गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (कृषि गुप) (MCA)।

इनमें से किस विकल्प, यथा- (i) या (ii) या (iii) या (iv) या (v) या (vi) या (vii) में परीक्षा देंगे।

11.6 समय-समय पर वेबसाइट / समाचार पत्रों के माध्यम से तथा प्रकाशित मेधा सूची में सम्मिलित आवेदकों को दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश

बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।

- 11.7** बी.सी.ई.सी.ई.-2021 की विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है ।
- 11.8** अभ्यर्थियों के लिये परीक्षापूर्व / परीक्षा की अवधि / परीक्षा उपरान्त निर्गत निर्देश, पर्षद के वेबसाईट या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित सूचना / नियम इस विवरण पुस्तिका के ही भाग होंगे ।
- 11.9** इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी ।
- 11.10** अगर कोई अभ्यर्थी बी.सी.ई.सी.ई.-2021 की परीक्षा के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, कदाचार में लिप्त होने अथवा इम्प्रसोनेशन का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी ।
- 11.11** मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्चे से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे ।
- 11.12** कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की जाँच आदि के लिये अभ्यर्थी के स्वयं केवल उपस्थित हो जाने पर ही नामांकन हेतु उसका कोई दावा नहीं बनेगा ।
- 11.13** अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् कभी भी इस भूल का पता चलता है तो वह मेधा-सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नामांकन हेतु अपना दावा / अधिकार खो देगा । अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन-आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा ।
- 11.14** परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत हो जाने से ही नामांकन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा । अगर यह पता चलता है कि किसी अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता नहीं है या इसमें ऐसी अयोग्यता पायी जाती है जिस कारण नामांकन हेतु उसकी पात्रता की पुष्टि नहीं होती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।
- 11.15** नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम/ ब्रांच में किसी प्रकार की रिक्तिवाँ फिर नहीं भरी जायेगी ।
- 11.16** इस प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन तथा आवेदन से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और वही मान्य होंगे । बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिए परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगी अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे ।

12. मार्गदर्शक पाठ्यक्रम :

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रत्येक विषय का मार्गदर्शक पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 में दिया गया है । यह पाठ्यक्रम बिहार इन्टरमीडिएट परीक्षा हेतु I.Sc. के पाठ्यक्रम पर आधारित है और केवल मार्गदर्शक रूप में है। इसमें वर्णित अंश बन्धनकारी नहीं हैं । वर्णित अंशों से संबंधित अन्य अंशों पर भी समकक्ष प्रश्न पूछे जा सकते हैं । प्रश्नों के कठिन होने या पाठ्यक्रम से बाहर होने के मुद्दे पर विवाद स्वीकार नहीं होगा ।

13. अभियंत्रण / फार्मैसी धारा तथा समान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ तथा वांछित योग्यताएँ :

13.1(i) संस्थान/पाठ्यक्रम/सीटें :

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक सं.- वि.प्रा.(II) व^२-07/2017-1738/ पटना, दिनांक 22.07.2021 के आलोक में राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों अन्तर्गत संचालित स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु JEE (Main) परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के दो चक्रों की कॉउन्सेलिंग एवं एक समापन Mop-up कॉउन्सेलिंग के पश्चात् यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो इन रिक्त सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संचालित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बी. सी.ई.सी.ई.)-2021 के PCM Group के अभ्यर्थियों से मेधा-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों का आवंटन किया जायेगा। इनमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंतर्गत संचालित Dr. APJ Abdul Kalam Womens Institute of Technology, Navodaya Complex, Kameshwar Nagar, Darbhanga की पाठ्यक्रम की सीटें भी सम्मिलित रहेंगी। नामांकन योग्य अभियंत्रण संस्थानों की विवरणी के लिए सारणी-1A, 1B एवं 1C देखें।

- 13.1(ii)** इस धारा के अंतर्गत फार्मैसी के संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं कुल सीटों की संख्या सारणी-1D में देखें। इनमें यदि बिहार सरकार/ भारत सरकार / ऑफ इंडिया कॉउन्सिल ऑफ टेकनिकल एडुकेशन (अभातशिप) द्वारा कोई फेरबदल किया गया तो इसकी सूचना साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय दे दी जायेगी।

13.2 आरक्षण :

अभियंत्रण / फार्मैसी के सरकारी संस्थानों की सीटों तथा कडिका 14.1 एवं कडिका 15.1 में वर्णित सीटों (देखें सारणी-1 से 3) पर नामांकन हेतु चयन के लिये बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन-पत्र ऑन लाईन submit करने की तिथि तक लागू आरक्षण अधिनियम/ नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा। संबन्धित विवरण के लिए कडिका-5 देखें।

- 13.3 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए कडिका-5.6 देखें ।
 13.4 सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए कडिका-5.7 देखें ।
 13.5 परीक्षार्थियों हेतु वांछित योग्यताएँ / अर्हताएँ :

(क) शैक्षणिक :

I. इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (चार वर्षीय पाठ्यक्रम):

Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics/ Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information Technology/ Biology/ Informatics practices/ Biotechnology/ Technical Vocational Subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneur ship (Any of the Three).

Obtained atleast 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the above subject taken together.

OR

Passed minimum 3 years Diploma examination with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category).

(II) Dr. APJ Abdul Kalam Women's Institute of Technology, Darbhanga (चार वर्षीय पाठ्यक्रम)

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| (a) Information Technology | आई. एस-सी. या समकक्ष में उत्तीर्ण | भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विज्ञान अथवा जीव विज्ञान। |
| (b) Computer Sc. & Engg. | आई. एस-सी. या समकक्ष में उत्तीर्ण | भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विज्ञान अथवा जीव विज्ञान। |
| (c) Bioinformatics | आई. एस-सी. या समकक्ष में उत्तीर्ण | भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित अथवा जीव विज्ञान |

III. फार्मैसी (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) : फार्मैसी पाठ्यक्रम के लिये अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी विज्ञान तथा रसायन विज्ञान एवं वैकल्पिक विषय के रूप में गणित / जीव विज्ञान विषय में से कोई एक विषय के साथ 10 + 2 / समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है ।

IV. इन्टरमीडियट या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार / काउन्सेलिंग के समय तक 10 + 2 / समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा ।

(ख) आवासीय :

केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

- I. जिनके माता/पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।
अथवा
- II. जिनके माता/पिता बिहार में निर्वाचित शरणार्थी हैं।
अथवा
- III. जिनके माता/पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं ।
अथवा
- IV. जिनके माता/पिता पुनर्गठन पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।
अथवा
- V. जिनके माता/पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों (Public Sector Undertaking of Govt. of India) के कर्मचारी हैं।
अथवा
- VI. जिनके माता/पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

(ग) शारीरिक :

प्रवेश के लिए चुने गये आवेदकों की डॉक्टरों की जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

(घ) आयु सीमा :

(क) अभियंत्रण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

(ख) फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को आवेदक की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए।

13.6 अभियंत्रण / फार्मसी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अभातशिप (AICTE) के सभी सम्बन्धित नियम एवं शर्त लागू होगा एवं फार्मसी पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु भारतीय भेषजी परिषद् (Pharmacy Council of India) के सभी संबंधित नियम एवं शर्त लागू होंगे।

14. चिकित्सा धारा तथा समान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताएँ :**14.1 संस्थान/पाठ्यक्रम/सीटें :**

इस धारा के अन्तर्गत फिजियोथेरोपी, ओकुपेशनल थैरेपी महाविद्यालय / लोक स्वास्थ्य संस्थान के पारा मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों एवं बी.एस.सी. (नर्सिंग) कॉलेज के बी.एस.सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के कुल सीटों की संख्या सारणी-2 में देखें। सूची में नये संस्थान एवं अतिरिक्त सीटों को जोड़ने या बदलने का अधिकार परीक्षा वर्ष / सरकार को सुरक्षित होगा। इनमें यदि बिहार सरकार/भारत सरकार / माननीय न्यायालय या अन्य प्राधिकार द्वारा कोई फेर-बदल किया गया या कोई निर्देश जारी किया गया तो विचारोपरान्त उसकी सूचना नामांकन हेतु साक्षात्कार / काउन्सेलिंग के समय दे दी जायेगी।

14.2 आरक्षण :

(क) उपलब्ध सभी सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन submit करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा। (कृपया देखें कडिका-5) ।

(ख) दिव्यांग कोटा की सीटों के लिये आरक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी प्रावधान कडिका-5.6 एवं परिशिष्ट-2(ii) देखें।

(ग) प्रत्येक संस्थान में कुल उपलब्ध सीटें उसी अनुपात में भरी जायेंगी जिस अनुपात में बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक कोटि के लिए निर्धारित/आरक्षित हैं। आरक्षण कोटि में नामांकन हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम के सभी संस्थानों को एक यूनिट समझा जायेगा और उसमें नामांकन आरक्षण के निर्धारित अनुपात में ही किया जायेगा।

14.3 अतिरिक्त आरक्षित सीट :

भारत सरकार द्वारा मनोनीत एवं स्पॉन्सर्ड आवेदकों के लिए बिहार सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। अन्य अर्हताएँ मनोनीत करनेवाली संस्थाओं/बिहार सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुसार होंगी।

14.4 परीक्षार्थियों हेतु वांछित योग्यताएँ/अर्हताएँ :**(क) शैक्षणिक :**

(i) चिकित्सा धारा के पाठ्यक्रमों यथा फिजियोथैरेपी, ओकुपेशनल थैरेपी, पारा मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 10 + 2 / हायर सेकेन्ड्री / आई० एस-सी० / समकक्ष परीक्षाओं में अंग्रेजी (भाषा और साहित्य के रूप में) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान (बॉटनी, जुलॉजी) विषयों में उत्तीर्ण।

(ii) बी.एस.सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए 10 + 2 (भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों) में कुल 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता आवश्यक है।

(iii) इन्टरमीडियट या समकक्ष परीक्षा में चालू सत्र (2021) में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार / काउन्सेलिंग के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(ख) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार “भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो तदनुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।”

(ग) आवासीय :

वही नियम जो 13.5 (ख) (i) से (v) में उल्लिखित हैं।

(घ) शारीरिक :

प्रवेश के लिए चुने गये आवेदकों की डॉक्टरों की जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

(ङ) आयु सीमा :

चिकित्सा धारा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होनी चाहिए। तदनुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 31.12.2003 के बाद नहीं होनी चाहिए।

15. कृषि धारा में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताएँ :

15.1 संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटें :

इस धारा के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं कुल सीटों की संख्या सारणी-3 में देखें। इनमें यदि बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा कोई फेरबदल किया गया तो उसकी सूचना नामांकन के समय दे दी जायेगी।

सारणी-3 की सूची में संस्थान एवं अतिरिक्त सीटों को जोड़ने या बदलने का अधिकार परीक्षा वर्ष / सरकार को सुरक्षित होगा।

15.2 आरक्षण :

- (क) कृषि धारा के सम्बन्धित संस्थानों में नामांकन हेतु कुल सीटों की 15 प्रतिशत, अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जायेंगी।
- (ख) शेष सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन-पत्र विक्रय प्रारम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा। (कृपया देखें कडिका- 5)।
- (ग) स्नातक कृषि पाठ्यक्रम एवं स्नातक उद्यान पाठ्यक्रम में उपलब्ध राज्य कोटा की कुल सीटों की 50 प्रतिशत सीटें कृषि ग्रुप यथा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान (कृषि ग्रुप) में जो I.Sc. (Agriculture) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेंगी।
- (घ) दिव्यांग कोटा की सीटों के लिए आरक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी प्रावधान कडिका- 5.6 में देखें।
- (ङ) इसके अतिरिक्त विदेश/देश के कुछ अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के छात्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की अनुशंसा पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) में नामांकन का प्रावधान है। ऐसे छात्रों को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है।

15.3 छात्राओं को विशेष सुविधा :

बिहार सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू किये जायेंगे।

15.4 परीक्षार्थी हेतु वांछित योग्यताएँ/अर्हताएँ :**(क) शैक्षणिक :**

- (i) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) में कृषि धारा के उपलब्ध पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित के अनुसार होगी :

क्रम	पाठ्यक्रम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	विषय
(a)	कृषि स्नातक (50% सीटें) (बी.एस-सी एग्रीकल्चर)	आई. एस-सी. / या समकक्ष में उत्तीर्ण	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान / गणित
(b)	उद्यान स्नातक (50% सीटें) बी.एस-सी. (उद्यान)	आई. एस-सी. या समकक्ष	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान गणित / जीव विज्ञान
(c)	कृषि स्नातक एवं उद्यान (50% सीटें) (कृषि ग्रुप)	आई. एस-सी. (एग्रीकल्चर)	रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान

- (ii) बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में उपलब्ध पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित के अनुसार होगी :

(a)	गव्य तकनीकी स्नातक (बी.टेक. डेयरी टेक्नोलॉजी)	आई. एस-सी. या समकक्ष में उत्तीर्ण	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विज्ञान
(b)	मत्स्य विज्ञान स्नातक (बी.एफ.एस-सी.)	आई. एस-सी. या समकक्ष में उत्तीर्ण	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान

- (iii) इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार / काउन्सेलिंग के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(ख) आवासीय :

वही नियम जो कडिका 13.5 (ख) (i) से (vi) में उल्लिखित हैं।

(ग) शारीरिक :

प्रवेश के लिये चुने गये आवेदकों की डॉक्टरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगगा।

(घ) आयु सीमा :

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) में प्रवेश हेतु, परीक्षा वर्ष की 31 अगस्त को आवेदक की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होगी। अधिकतम आयुसीमा निर्धारित नहीं है।

सारणी-1A

बी०टेक० पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु उपलब्ध राजकीय अभियंत्रण संस्थानों की विवरणी

<u>क्र.सं.</u>	<u>संस्थान का नाम</u>
1.	B.C.E BHAGALPUR
2.	M.I.T. MUZAFFARPUR
3.	G.C.E., GAYA
4.	M.C.E. MOTIHARI
5.	D.C.E. DARBHANGA
6.	N.C.E., CHANDI
7.	L.N.J.P.I.T., CHAPRA
8.	B.C.E. BAKHTIYARPUR
9.	S.I.T., SITAMARHI
10.	R.R.D.C.E., BEGUSARAI
11.	S.C.E. SASARAM
12.	B.P.M.C.E., MADHEPURA
13.	K.C.E., KATI HAR
14.	PURNEA COLLEGE OF ENGINEERING
15.	SAHARSA COLLEGE OF ENGINEERING
16.	SUPAUL COLLEGE OF ENGINEERING
17.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, BANKA
18.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, VAISHALI
19.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, JAMUI
20.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, NAWADA
21.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, KISHANGANJ
22.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, ARARIA
23.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, MUNGER
24.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, SHEOHAR
25.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, WEST CHAMPARAN
26.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, AURANGABAD
27.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, KAIMUR
28.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, GOPALGANJ
29.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, MADHUBANI
30.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, SIWAN
31.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, JEHANABAD
32.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, ARWAL
33.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, KHAGARIA
34.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, BUXAR
35.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, BHOJPUR
36.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, SHEIKHPURA
37.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, LAKHISARAI
38.	GOVT. ENGINEERING COLLEGE, SAMASTIPUR

नोट:

- i.** JEE(Main) के आधार पर अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिये आयोजित **MOP-UP Counselling** पश्चात् शेष बच गयी रिक्तियों को पर्थद के **Website: bceceboard.bihar.gov.in** पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- ii.** संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की विवरणी एवं पूर्ण वितरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
- iii.** दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित रहेगी।
- iv.** संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

सारणी-1B

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंतर्गत संस्थान की विवरणी

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	Dr. APJ Abdul Kalam Womens Institute of Technology, Navodaya Complex, Kameshwar Nagar, Darbhanga.

नोट:

- i. **JEE(Main)** के आधार पर अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिये आयोजित **MOP-UP Counselling** पश्चात् शेष बच गयी रिक्तियों को पर्षद के **Website:bceceboard.bihar.gov.in** पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- ii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की विवरणी एवं पूर्ण वितरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।
- iii. दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित रहेगी ।
- iv. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा ।

सारणी-1C

बी०टेक० पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु उपलब्ध निजी अभियंत्रण संस्थानों की विवरणी

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	Exalt College of Engg. & Technology, Vaishali
2.	Buddha Institute of Technology, Gaya

नोट:

- i. **JEE(Main)** के आधार पर अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिये आयोजित **MOP-UP Counselling** पश्चात् शेष बच गयी रिक्तियों को पर्षद के **Website:bceceboard.bihar.gov.in** पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- ii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की विवरणी एवं पूर्ण वितरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।
- iii. दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित रहेगी ।
- iv. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा ।

सारणी—1D**Statement of total available seats in different Colleges in Pharmacy for the session 2021 (On the basis of session - 2020)**

Sl. No.	Institution/College	Name of the Course	Total seats	U.R.	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	DQ	SMQ
1.	M.I.T., Muzaffarpur	B. Pharma	60	24	9	1	11	7	2	6	3	0
2.	G.P.I., Gulzarbagh, Patna-7	B. Pharma	60	24	9	1	11	7	2	6	3	0
TOTAL			120	48	18	2	22	14	4	12	6	0

* (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

(ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disable Quota Seats.

(iii) Total Seats are inclusive of Quota (SMQ) seats in MIT, Muzaffarpur.

MedCollegeDarshan.com

सारणी—2**Statement of total available seats in different Colleges in Medical stream* for the session 2021 (On the basis of session - 2020)****Schedule – A**

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	College	Total seats	Central Nomin-ees	All India quota	State seats	UR	S.C.	S.T.	E.B.C	B.C.	RCG	EWS	DQ
1.	Bihar College of Physiotherapy & Occupational Theraphy, Patna												
	(a) B. Ph. T.	20	—	—	20	8	3	—	4	2	1	2	1
	(b) B.O. Th.	20	—	—	20	8	3	—	4	2	1	2	1

Schedule – B

Sl. No.	Institution/College	Name of the Course	Total seats	UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	DQ
1.	Public Health Institution, Patna	Bachlor of Medical Laboratory Technology	20	8	3	-	4	2	1	2	1
2.	Public Health Institution, Patna	Bachlor of Operation Theator Technology	20	8	4	-	4	2	0	2	1
3.	Public Health Institution, Patna	Bachlor of Radio laming Technology	20	8	3	1	3	3	0	2	1
4.	Public Health Institution, Patna	Bachlor of Ophthalmic Technology	20	8	3	-	3	3	1	2	1
TOTAL			80	32	13	1	14	10	2	8	4

Schedule – C

Sl. No.	Institution/College	Name of the Course	Total seats	UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	DQ
1.	B.Sc. Nursing College, NMCH, Patna.	B.Sc. Nursing	60	24	9	1	11	7	2	6	3
2.	B.Sc. Nursing College, V.I.M.S. Pawapuri, Nalanda.	B.Sc. Nursing	60	24	10	0	11	7	2	6	3
3.	B.Sc. Nursing College, JLNMC, Bhagalpur.	B.Sc. Nursing	60	24	10	1	10	8	1	6	3

* (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

(ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disable Quota Seats.

(iii) Admissions in All the Colleges mentioned above will be taken after due permission for the same from Govt. of India / Govt. of Bihar.

सारणी — 3

(क) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में कोटिवार उपलब्ध सीटों का विवरण

(सत्र 2020 के आधार पर)

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

स्नातक पाठ्यक्रम	कुल सीट	सीटों का बँटवारा आरक्षण रोस्ट्रों के अन्दर										कुल
		15% सीट ICAR कोटा के तहत	सीट BCECE कोटा के तहत	अनारक्षित 40%	अनु. जाति 16%	अनुसूचित जन जाति 1%	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 18%	पिछड़ा वर्ग 12%	पिछड़ा वर्ग की महिला 3%	मिलिटरी वार्ड / दिव्यांग कोटा	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	
1. स्नातक (कृषि) :												
(क) बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर, भागलपुर	62**	9	PCMB CBA	10 10	4 4	0 1	5 4	3 3	1 1	1 1	3 2	27 26
(ख) मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा	60	9	PCMB CBA	10 10	4 4	0 1	5 4	3 3	1 1	0 0	3 2	26 25
(ग) बी.के.एस.कृषि महाविद्यालय, डुमरांव, बक्सर	60	9	PCMB CBA	10 10	4 4	0 1	5 4	3 3	1 1	0 0	3 2	26 25
(घ) भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णियाँ ।	60	9	PCMB CBA	10 10	4 4	0 1	5 4	3 3	1 1	0 0	3 2	26 25
(ङ) डा. कलाम कृषि महा०, अर्राबाड़ी, किशनगंज ।	60	0	PCMB CBA	12 12	5 4	0 1	5 5	4 4	1 1	0 0	3 3	30 30
2. स्नातक (उद्यान)	25	4	PCMB CBA	4 4	2 2	0 0	2 2	1 1	1 0	0 0	1 1	11 10
नालंदा उद्यान महा० नूरसराय, नालन्दा ।												

(ख) बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में कोटिवार उपलब्ध सीटों का विवरण

स्नातक पाठ्यक्रम	15% सीट ICAR कोटा के तहत	कुल सीट	अनारक्षित 40%	अनु. जाति 16%	अनुसूचित जन जाति 1%	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 18%	पिछड़ा वर्ग 12%	पिछड़ा वर्ग की महिला 3%	मिलिटरी वार्ड	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	*दिव्यांग उम्मीदवारों से क्षैतिज आरक्षण 5%
1. स्नातक (गव्य) संजय गाँधी गव्य तकनीकी संस्थान, पटना ।	00	30	12	5	0	6	4	0	0	3	2
2. स्नातक (मत्स्य) मत्स्यकी महाविद्यालय, किशनगंज ।	00	40	17	6	0	7	5	1	0	4	2

नोट: (i) संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउंसैलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(ii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं ।

* दिव्यांग उम्मीदवार जिस वर्ग से संबंधित होंगे उनकी गिनती उसी वर्ग विशेष (UR/R) में की जायेगी। योग्य दिव्यांग उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में Physically fit उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।

** स्नातक (कृषि) पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित सीटों के अतिरिक्त मिलिटरी वार्ड के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं।

परिशिष्ट-1

बी०सी०ई०सी०ई०-2021 के लिये मार्गदर्शक / सांकेतिक पाठ्यक्रम

PHYSICS

Physical world and measurement

Physics : scope and excitement, nature of physical laws; Physics, technology and society.

Need for measurement : Units of measurement, systems of units. S.I. units, fundamental and derived units, length, mass and time measurements, accuracy and precision of measuring instruments, errors in measurement, significant figures, regular and irregular errors.

Dimensions of physical quantities, dimensional analysis and its applications.

Kinematics

Frame of reference, Motion in straight line, position time graph, speed and velocity. Uniform and non-uniform motion, average speed and instantaneous velocity.

Uniformly accelerated motion, velocity time and position time graphs, relations for uniformly accelerated motion (graphical treatment).

Elementary concepts of differentiation and integration for describing motion.

Scalar and vector quantities : Position and displacement vectors, general vectors and notation, equality of vectors, multiplication of vectors by a real number, addition and subtraction of vectors, relative velocity.

Unit vector, Resolution of a vector in a plane-rectangular components.

Motion in a plane, Cases of uniform velocity and uniform acceleration - projectile motion, uniform circular motion.

Laws of Motion

Intuitive concept of force, Inertia, Newton's first law of motion, momentum and Newton's Second law of motion, impulse, Newton's third law of motion, Law of conservation of linear momentum and its applications.

Equilibrium of concurrent forces, static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction, lubrication, dynamics of uniform circular motion : centripetal force examples of circular motion (vehical on level circular road, vehical on banked road).

Work, Energy and Power

Scalar product of Vector work done by a constant force and a variable force, kinetic energy, work-energy theorem, power.

Notion of potential energy, potential energy of a spring, conservative forces; conservation of mechanical energy (Kinetic and potential energies), non conservative forces, elastic and inelastic collisions in one and two dimension.

Motion of System of Particles and Rigid body.

Centre of mass of two-particle system, momentum, conservation and centre of mass motion, centre of mass of a rigid body, centre of mass of circular ring, disc, rod and sphere.

Vector product of vectors; momentum of a force, torque angular momentum, conservation of angular momentum with some examples.

Equilibrium of rigid bodies, rigid body rotation and equations of rotational motion, comparison of linear and rotational motion, moment of inertia, radius of gyration. Values of M.I. for simple geometrical objects (no derivation), statement of parallel and perpendicular axes theorems and their applications.

Gravitation

Keplar's laws of planetary motion, The universal law of gravitation, Acceleration due to gravity and its variation with altitude and depth.

Gravitational potential energy, gravitational potential, escape velocity, orbital velocity of satellite, Geo-stationary satellites.

Properties of Bulk Matter

Elastic behaviour, stress-strain relationship, Hooke's law, Young's modulus, Bulk modulus, Deformation, Shear modulus of rigidity.

Pressure due to fluid column, pascal's law and its applications / hydraulic lift and hydraulic brakes).

Effect of gravity on fluid pressure.

Viscosity, stoke's law terminal velocity, Reynold's number, Streamline and turbulent flow, Bernoulli's theorem and its applications.

Surface energy and surface tension, angle of contact, application of surface tension, ideas to drop bubbles and capillary rise.

Heat and Thermodynamics

Heat, temperature, thermal expansion, specific heat capacity, Calorimetry, change of state, latent heat.

Heat transfer - conduction, convection and radiation, thermal conductivity, Newton's law of cooling.

Thermal equilibrium and definition of temperature (Zeroth law of thermodynamics). Heat, work and internal energy.

First law of thermodynamics.

Second law of thermodynamics, Reversible and irreversible processes. Heat engines and refrigerator.

Behaviour of Perfect Gas and Kinetic Theory

Equation of state of a perfect gas, work done on compressing a gas.

Kinetic theory of gases : Assumptions, concept of pressure, Kinetic energy and temperature, rms speed of gas molecules, degrees of freedom, law of equipartition of energy (statement only) and application to specific heat capacities of gases, concept of mean free path, Avogadro's number.

Oscillations and Waves.

Periodic motion - period, frequency, displacement as a function of time, periodic functions, simple harmonic motion (SHM) and its equation, phase, oscillation of a spring - restoring force and force constant energy in SHM - Kinetic and potential energies, simple pendulum - derivation of expression for its time period) free, forced and damped oscillations (qualitative ideas only), resonance.

Wave motion, Longitudinal and transverse waves, speed of wave motion, Displacement relation for progressive waves, principle of superposition of waves, reflection of waves, standing waves in strings and organ pipes, fundamental mode and harmonics, Beats, Doppler effect.

* Electrostatics

Electric Charge; Conservation of charge, Coulomb's law-force between two point charges, forces between multiple charges; superposition principle and continuous charge distribution.

Electric field; electric field due to a point charge, electric field lines; electric dipole, electric field due to a dipole; torque on a dipole in uniform electric field.

Electric flux, statement of Gauss's theorem and its applications to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet and uniformly charged thin spherical shell (field inside and outside).

Electric potential, potential difference, electric potential due to a point charge, a dipole and system of charges; equipotential surfaces, electrical potential energy of a system of two point charges and of electric dipole in an electrostatic field.

Conductors and insulators, free charges and bound charges inside a conductor. Dielectrics and electric polarisation, capacitors and capacitance, combination of capacitors in series and in parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor. Van de Graaff generator.

Current Electricity

Electric current, flow of electric charges in a metallic conductor, drift velocity, mobility and their relation with electric current; Ohm's law, electrical resistance, V-I characteristics (linear and non-linear), electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity. Carbon resistors, colour code for carbon resistors; series and parallel combinations of resistors; temperature dependence of resistance.

Internal resistance of a cell, potential difference and emf of a cell, combination of cells in series and in parallel.

Kirchhoff's laws and simple applications. Wheatstone bridge, metre bridge.

Potentiometer - principle and its applications to measure potential difference and for comparing emf of two cells; measurement of internal resistance of a cell.

Magnetic effects of current & Magnetism

Concept of magnetic field, Oersted's experiment.

Biot - Savart law and its application to current carrying circular loop.

Ampere's law and its applications to infinitely long straight wire, straight and toroidal solenoids.

Force on a moving charge in uniform magnetic and electric fields. Cyclotron.

Force on a current-carrying conductor in a uniform magnetic field. Force between two parallel current-carrying conductors-definition of ampere. Torque experienced by a current loop in uniform magnetic field, moving coil galvanometer-its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter.

Current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment of a revolving electron. Magnetic field intensity due to a magnetic dipole (bar magnet) along its axis and perpendicular to its axis. Torque

on a magnetic dipole (bar magnet) in an uniform magnetic field; bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines; Earth's magnetic field and magnetic elements. Para-, dia- and ferro- magnetic substances, with examples. Electromagnets and factors affecting their strengths. Permanent magnets.

Electromagnetic Induction and Alternating currents

Electromagnetic induction; Faraday's law, induced emf and current; Lenz's Law, Eddy currents. Self and mutual inductance.

Need for displacement current.

Alternating currents, peak and rms value of alternating current/ voltage; reactance and impedance; LC oscillations (qualitative treatment only), LCR series circuit, resonance; power in AC circuits, wattless current.

AC generator and transformer.

Electromagnetic Waves

Electromagnetic waves and their characteristics (qualitative ideas only). Transverse nature of electromagnetic waves.

Electromagnetic spectrum (radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays gamma rays) including elementary facts about their uses.

Optics

Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, Refraction of light, total internal reflection and its applications, optical fibres, refraction at spherical surfaces, lenses, thin lens formula, lens-maker's formula. Magnification, power of a lens, combination of thin lenses in contact, Refraction and dispersion of light through a prism.

Scattering of light-blue colour of the sky and reddish appearance of the sun at sunrise and sunset.

Optical instruments; Human eye, image formation and accommodation, correction of eye defects (myopia, hypermetropia, presbyopia and astigmatism) using lenses. Microscopes and astronomical telescopes (reflecting and refracting) and their magnifying powers.

Wave optics: wave front and Huygens' principle, reflection and refraction of plane wave at a plane surface using wave fronts. Proof of laws of reflection and refraction using Huygens' principle. Interference, Young's double slit experiment and expression for fringe width, coherent sources and sustained interference of light. Diffraction due to a single slit, width of central maximum. Resolving power of microscopes and astronomical telescopes. Polarisation, plane polarised light; Brewster's law, uses of plane polarised light and Polaroids.

Dual Nature of Matter and Radiation

Photoelectric effect, Hertz and Lenard's observations; Einstein's photoelectric equation-particle nature of light.

Matter waves-wave nature of particles, de Broglie relation. Davission-Germer experiment.

Atoms and Nuclei

Alpha-particle scattering experiment; Rutherford's model of atom; Bohr model, energy levels, hydrogen spectrum.

Composition and size of nucleus, atomic masses, isotopes, isobars; isotones, Radioactivity-alpha, beta and gamma particles/rays and their properties; radioactive decay law. Mass-energy relation, mass defect; binding energy per nucleon and its variation with mass number; nuclear fission and fusion.

Electronic Devices

Semiconductors; semiconductor diode - I-V characteristics in forward and reverse bias, diode as a rectifier; I-V characteristics of LED, photodiode, solar cell, and Zener diode; Zener diode as a voltage regulator. Junction transistor, transistor action, characteristics of a transistor; transistor as an amplifier (common emitter configuration) and oscillator. Logic gates (OR, AND, NOT, NAND and NOR). Transistor as a switch.

Communication Systems

Elements of a communication system (block diagram only); bandwidth of signals (speech, TV and digital data); bandwidth of transmission medium. Propagation of electromagnetic waves in the atmosphere, sky and space wave propagation. Need for modulation. Production and detection of an amplitude-modulated wave.

CHEMISTRY

Some basic concepts of Chemistry :

General Introduction : Importance and scope of chemistry. Historical approach to particulate nature of matter, laws of chemical combination, Dalton's atomic theory; concept of elements, atoms and molecules, Atomic and molecular masses. Mole concept and molar mass; percentage composition, empirical and molecular formula; chemical reactions, stoichiometry and calculations based on stoichiometry.

Structure of Atom :

Discovery of electron, proton and neutron and their characteristics; atomic number, Isotopes & Isobars, Thomson's model and its limitation, Rutherford's model and its limitations, Bohr's model and its limitations, concept of shells and subshells, dual nature of matter and light, De Broglie's relationship, Heisenberg uncertainty principle, concept of orbitals, Quantum numbers, shapes of S.P. and D orbitals, rules, for filling electrons in orbitals Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half filled and completely filled orbitals.

Classification of Elements and Periodicity in Properties:

Significance of classification, brief history of the development of periodic table, modern periodic law and the present form of periodic table, periodic trends in properties of elements - atomic radii, ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electro negativity, valence.

Chemical Bonding and Molecular Structure :

Valence electrons, ionic bond, covalent bond, bond parameters, Lewis structure, polar character of covalent bond, Covalent characters of ionic bond, valence bond theory, resonance, geometry of covalent molecules, VSEPR theory, concept of hybridization involving s, p and d orbitals and shapes of some simple molecules, molecular orbital, theory of homonuclear diatomic molecules (qualitative idea only). Hydrogen bonding.

States of Matter : gases and liquids :

Three states of matter, Intermolecular interactions, type of bonding, melting and boiling points. Role of gas laws in elucidating the concept of the molecule, Boyle's law, Charles's law, Gay Lussac's law Avogadro's law, Ideal behaviour, empirical derivation of gas equation. Avogadro's number. Ideal gas equation. Derivation from ideal behaviour, liquification of gases, critical temperature.

Liquid State - Vapour pressure, viscosity and surface tension (qualitative idea only, no mathematical derivations).

Thermodynamics :

Concepts of system, types of systems, surroundings, work, heat, energy, extensive and intensive properties, state functions, First law of thermodynamics - internal energy and enthalpy, heat capacity and specific heat, measurement of ΔU and ΔH , Hess's law of constant heat summation enthalpy of : bond dissociation, combustion, formation, atomization, Sublimation, phase transformation, ionization and solution.

Introduction of entropy as a state function, free energy change for spontaneous and non-spontaneous process, criteria for equilibrium.

Equilibrium :

Equilibrium in physical and chemical processes dynamic nature of equilibrium, law of mass action, equilibrium constant, factors affecting equilibrium - Le Chatelier's principle; ionic equilibrium - ionization of acids and bases, strong and weak electrolytes, degree of ionization, concept of pH. Hydrolysis of salts (elementary idea), buffer solutions, solubility product, common ion effect (with illustrative examples).

Redox Reactions :

Concept of oxidation and reduction, redox reactions, oxidation number, balancing redox reactions, applications of redox reactions.

Hydrogen :

Position of hydrogen in periodic table, occurrence, isotopes, preparation, properties and uses of hydrogen; hydrides - ionic, covalent and interstitial; physical and chemical properties of water, heavy water; hydrogen peroxide - preparation, reactions and structure; hydrogen as a fuel.

s-Block Elements (Alkali and Alkaline earth metals):

Group 1 and Group 2 elements :

General introduction, electronic configuration, occurrence, anomalous properties of the first element of each group, diagonal relationship, trends in the variation of properties (such as ionization enthalpy, atomic and ionic radii) trends in chemical reactivity with oxygen, water, hydrogen and halogens; uses.

Preparation and properties of some important compounds :

Sodium carbonate, sodium chloride, sodium hydroxide and sodium hydrogen carbonate, biological importance of

sodium and potassium.

CaO, CaCO₃ and industrial use, lime and limestone. Biological importance of Mg and Ca.

Some p-Block Elements

General Introduction p-Block Elements

Group 3 elements : General introduction, electronic configuration, occurrence, Variation of properties, oxidation states, trends in chemical reactivity, anomalous properties of first element of the group; Boron-physical and chemical properties, some important compounds : borax, boric acids, boron hydrides. Aluminium : uses, reactions with acids and alkalies.

Group 4 elements : General introduction, electronic configuration, occurrence, variation of properties, oxidation states, trends in chemical reactivity, anomalous behaviour of first element, Carbon - catenation, allotropic forms, physical and chemical properties; uses of some important compounds : oxides. Important compounds of Silicon and a few uses: Silicon tetrachloride, silicons, silicates and zeolite. (Part-I)

Organic Chemistry - Some Basic Principles and Techniques :

General introduction, methods of qualitative and quantitative analysis, classification and IUPAC nomenclature of organic compounds.

Electronic displacements in a covalent bond; inductive effect, electromeric effect, resonance and hyper conjugation.

Hemolytic and heterolytic fission of a covalent bond: free radicals, carbocations, carboanions; electrophiles and nucleophiles, types of organic reactions.

Hydrocarbons :

Classification of hydrocarbons :

Alkanes - Nomenclature, isomerism, conformations (ethane only), methods of preparation, physical properties, chemical reactions including halogenation, free radical mechanism, combustion and pyrolysis.

Alkenes - Nomenclature, structure of double bond (ethene), geometrical isomerism, methods of preparation, physical properties, chemical reaction : addition of hydrogen, halogen, water, hydrogen halides (Markovnikov's addition and peroxide effect), ozonolysis, oxidation, mechanism of electrophilic addition.

Alkynes - Nomenclature, structure of triple bond (ethyne), methods of preparation, physical properties, chemical reactions; acidic character of alkynes, addition reactions of hydrogen, halogenes, hydrogen halides and water.

Aromatic hydrocarbons - Introduction, IUPAC nomenclature, Benzene : resonance, aromaticity : methods of preparation, chemical properties.

Mechanism of electrophilic substitution - nitration, sulphonation, halogenation, Friedel Craft's alkylation and acylation; directive influence of functional group in mono-substituted benzene; carcinogenicity and toxicity.

Environmental Chemistry :

Environmental pollution - Air, water and soil pollution, chemical reactions in atmosphere smogs, major atmospheric pollutants : acid rain, ozone and its reactions, effects of depletion of ozone layer, greenhouse effect and global warming - pollution due to industrial wastes, green chemistry as an alternative tool for reducing pollution, strategy for control of environmental pollution.

* Solid State

Classification of solids based on different binding forces : molecular, ionic covalent and metallic solids, amorphous and crystalline solids (elementary idea), unit cell in two dimensional and three dimensional lattices, calculation of density of unit cell, packing in solids, voids, number of atoms per unit cell in a cubic unit cell, point defects, electrical and magnetic properties.

Solutions

Types of solutions, expression of concentration of solutions of solids in liquids, solubility of gases in liquids, solid solutions, colligative properties--relative lowering of vapour pressure, elevation of Boiling Point, depression of freezing point, osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative properties, abnormal molecular mass.

Electrochemistry

Redox reactions, conductance in electrolytic solutions, specific and molar conductivity variations of conductivity with concentration, Kohlrausch's law, electrolysis and laws of electrolysis (elementary idea), dry cell-electrolytic cells and Galvanic cells; lead accumulator, EMF of a cell, standard electrode potential, Nernst equation and its application to chemical cells, fuel cells; corrosion.

Chemical Kinetics

Rate of a reaction (average and instantaneous), factors affecting rates of reaction; concentration, temperature, catalyst; order and molecularity of a reaction; rate law and specific rate constant, integrated rate equations and half life (only for zero and first order reactions); concept of collision theory (elementary idea, no mathematical treatment)

Surface Chemistry

Adsorption - physisorption and chemisorption; factors affecting adsorption of gases on solids; catalysis: homogenous and heterogeneous, activity and selectivity: enzyme catalysis; colloidal state: distinction between true solutions, colloids and suspensions; lyophilic, lyophobic, multimolecular and macromolecular colloids: properties of colloids; Tyndall effect, Brownian movement, electrophoresis, coagulation; emulsion - types of emulsions.

General Principles and Processes of Isolation of Elements

Principles and methods of extraction - concentration, oxidation, reduction electrolytic method and refining; occurrence and principles of extraction of aluminium, copper, zinc and Iron.

p-Block Elements

Group - 5 elements : General introduction, electronic configuration, occurrence, oxidation states, trends in physical and chemical properties; nitrogen - preparation, properties and uses; compounds of nitrogen: preparation, properties and uses; compounds of nitrogen: preparation and properties of ammonia and nitric acid, oxides of nitrogen (structure only); Phosphorous-allotropic forms; compounds of phosphorous: preparation and properties of phosphine, halides (PCl_3 , PCl_5) and oxoacids (elementary idea only).

Group - 6 elements : General introduction, electronic configuration, oxidation states, occurrence, trends in physical and chemical properties; dioxygen: preparation, properties and uses; simple oxides; Ozone, Sulphur-allotropic forms; compounds of sulphur: preparation, properties and uses of sulphur dioxide; sulphuric acid: industrial process of manufacture, properties and uses, oxoacids of sulphur (structures only).

Group - 7 elements : General introduction, electronic configuration, oxidation states, occurrence, trends in physical and chemical properties; compounds of halogens; preparation, properties and uses of chlorine and hydrochloric acid, interhalogen compounds, oxoacids of halogens (structures only).

Group - 8 elements : General introduction, electronic configuration. Occurrence, trends in physical and chemical properties, uses. (Part-II)

d- and f- Block Elements

General introduction, electronic configuration, occurrence and characteristics of transition metals, general trends in properties of the first row transition metals - metallic character, ionization enthalpy, oxidation states, ionic radii, colour, catalytic property, magnetic properties, interstitial compounds, alloy formation. Preparation and properties of $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ and KMnO_4 .

Lanthanoids - electronic configuration, oxidation states, chemical reactivity and lanthanoid contraction.

Actinoids - Electronic configuration, oxidation states.

Coordination Compounds

Coordination Compounds - Introduction, ligands, coordination number, colour, magnetic properties and shapes, IUPAC nomenclature of mononuclear coordination compounds, bonding; isomerism, importance of coordination compounds (in qualitative analysis, extraction of metals and biological systems).

Haloalkanes and Haloarenes

Haloalkanes: Nomenclature, nature of C-X bond, physical and chemical properties, mechanism of substitution reactions.

Haloarenes: Nature of C-X bond, substitution reactions (directive influence of halogen for monosubstituted compounds only)

Uses and environmental effects of - dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, iodoform, freons, DDT.

Alcohols, Phenols and Ethers

Alcohols : Nomenclature, methods of preparation, physical and chemical properties (of primary alcohols only); identification of primary, secondary and tertiary alcohols; mechanism of dehydration, uses of methanol and ethanol.

Phenols : Nomenclature, methods of preparation, physical and chemical properties, acidic nature of phenol, electrophilic substitution reactions, uses of phenols.

Ethers : Nomenclature, methods of preparation, physical and chemical properties, uses.

Aldehydes, Ketones and Carboxylic acids

Aldehydes and Ketones : Nomenclature, nature of carbonyl group, methods of preparation, physical and chemical properties mechanism of nucleophilic addition, reactivity of alpha hydrogen in aldehydes; uses.

Carboxylic Acids : Nomenclature, acidic nature, methods of preparation, physical and chemical properties; uses.

Organic compounds containing Nitrogen

Amines : Nomenclature, classification, structure, methods of preparation, physical and chemical properties, uses, identification of primary, secondary and tertiary amines.

Cyanides and Isocyanides - will be mentioned at relevant places in context.

Diazonium salts : Preparation, chemical reactions and importance in synthetic organic chemistry.

Biomolecules

Carbohydrates - Classification (aldoses and ketoses), monosaccharides (glucose and fructose), oligosaccharides (sucrose, lactose, maltose), polysaccharides (starch, cellulose, glycogen); importance.

Proteins - Elementary idea of α - amino acids, peptide bond, polypeptides proteins, primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure (qualitative idea only), denaturation of proteins; enzymes.

Vitamins - Classification and functions.

Nucleic Acids: DNA & RNA.

Polymers

Classification - natural and synthetic, methods of polymerization (addition and condensation), copolymerization. Some important polymers: natural and synthetic like polythene, nylon, polyesters, bakelite, rubber.

Chemistry in Everyday life:

1. Chemicals in medicines - analgesics, tranquilizers, antiseptics, disinfectants, antimicrobials, antifertility drugs, antibiotics, antacids, antihistamines.
 2. Chemicals in food - preservatives, artificial sweetening agents.
 3. Cleansing agents - soaps and detergents, cleansing action.
-

MedCollegeDarshan.com

MATHEMATICS

SETS AND FUNCTIONS

1. Sets:

Sets and their representations, Empty set, Finite & Infinite sets. Equal sets, Subsets, Subsets of the set of real number especially intervals (with notations). Power set, Universal set, Venn diagrams, Union and Intersection of sets, Difference of sets, Complement of a set.

2. Relation & Functions:

Ordered pairs, Cartesian product of sets, Number of elements in the Cartesian product of two finite sets. Cartesian product of the reals with itself (upto $R \times R \times R$). Definition of relation, pictorial diagrams, domain, codomain and range of a relation. Function as a special kind of relation from one set to another. Pictorial representation of a function, domain, co-domain & range of a function. Real valued function of the real variable, domain and range of these functions, constant, identity, polynomial, rational, modulus, signum and greatest integer functions with their graphs, Sum, difference, product and quotients of functions.

3. Trigonometric Functions:

positive and negative angles. Measuring angles in radians & in degrees and conversion from one measure to another. Definition of trigonometric functions with the help of unit circle. Truth of the identity $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, for all x . Signs of trigonometric functions and sketch of their graphs. Expressing $\sin(x + y)$ and $\cos(x + y)$ in terms of $\sin x$, $\sin y$, $\cos x$, & $\cos y$.

Identities related to $\sin 2x$, $\cos 2x$, $\tan 2x$, $\sin 3x$, $\cos 3x$ and $\tan 3x$. General solution of trigonometric equations of the type $\sin \theta = \sin \alpha$, $\cos \theta = \cos \alpha$ and $\tan \theta = \tan \alpha$. Proof and simple application of sine and cosine formula.

ALGEBRA (I)

1. Principle of Mathematical Induction :

Processes of the proof by induction, motivating the application of the method by looking at natural numbers as the least inductive subset of real numbers. The principle of mathematical induction and simple applications.

2. Complex Numbers and Quadratic Equations:

Need for complex numbers, especially $\sqrt{-1}$, to be motivated by inability to solve every quadratic equations. Brief description of algebraic properties of complex numbers. Argand plane and polar representation of complex numbers. Statement of Fundamental Theorem of Algebra, solution of quadratic equations in the complex number system.

3. Linear Inequalities:

Linear inequalities. Algebraic solutions of linear inequalities in one variable and their representation on the number line. Graphical solution of linear, inequalities in two variables. Solution of system of linear inequalities in two variables - graphically.

4. Permutation & Combination :

Fundamental principle of counting. Factorial n . ($n!$) Permutation and combinations, derivation of formulae and their connections, simple applications.

5. Binomial Theorem:

History, statement and proof of the binomial theorem for positive integral indices. Pascal's triangle, General and middle term in binomial expansion, simple applications.

6. Sequence & Series:

Sequence and Series. Arithmetic progression (A.P.) arithmetic mean (A.M.) Geometric progression (G.P.), general term of a G.P. Sum of n terms of a G.P., geometric mean (G.M.), relation between A.M. and G. M. Sum to n terms of the special series, $\sum n$ and $\sum n^2$ and $\sum n^3$.

CO-ORDINATE GEOMETRY (I)

1. Straight Lines :

Brief recall of 2D from earlier classes. Slope of a line and angle between two lines. Various forms of equations of a line : parallel to axes, point-slope form, slope-intercept form, two-point form, intercepts form and normal form. General equation of a line, Distance of a point from a line.

2. Conic Section :

Sections of a cone : circle, ellipse, parabola, hyperbola, a point, a straight line and pair of intersecting lines as a degenerated case of a conic section. Standard equations and simple properties of parabola, ellipse and hyperbola. Standard equation of a circle.

3. Introduction to Three Dimensional Geometry :

Coordinate axes and coordinate planes in three dimensions, Coordinates of a point. Distance between two points and section formula.

CALCULUS (I)

1. Limits and Derivatives :

Derivative introduced as rate of change both as that of distance function and geometrically, intuitive idea of limit. Definition of derivative, relate it to slope of tangent of the curve, derivative of sum, difference, product and quotient of functions. Derivatives of polynomial and trigonometric functions.

MATHEMATICAL REASONING

1. Mathematical Reasoning

Mathematically acceptable statements. Connecting words / phrases - consolidating the understanding of "if and only if (necessary and sufficient) condition", "implies", "and / or", "implied by", "and", "or", "there exists" and their use through variety of examples related to real life and Mathematics. Validating the statements involving the connecting words - difference between contradiction, converse and contrapositive.

STATISTICS & PROBABILITY (I)

1. Statistics :

Measure of dispersion; mean deviation, variance and standard deviation of ungrouped / grouped data. Analysis of frequency distributions with equal means but different variances.

2. Probability :

Random experiments: outcomes, sample spaces (set representation). Events: occurrence of events, 'not', 'and' 'or' events, exhaustive events, mutually exclusive events Axiomatic (set theoretic) probability, connections with the theories of earlier classes. Probability of an event, probability of 'not' 'and' & 'or' events.

* RELATIONS AND FUNCTIONS.

1. Relations and Functions :

Types of relations : reflexive, symmetric, transitive and equivalence relations, One to one and onto functions, composite functions inverse of a function, Binary operations.

2. Inverse Trigonometric Functions :

Definition, range, domain principal value branches. Graphs of inverse trigonometric functions Elementary properties of inverse trigonometric functions.

ALGEBRA (II)

1. Matrices :

Concept, notation, order, equality types of matrices zero matrix transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrices, Addition, multiplication and scalar multiplication of matrices, simple properties of addition, multiplication and scalar multiplication. Non-commutativity of multiplication of matrices and existence of non-zero matrices whose product is the zero matrix (restrict to square matrices of order 2). Concept of elementary row and column operations, Invertible matrices and proof of the uniqueness of inverse, if it exists; (Here all matrices will have real entries).

2. Determinants :

Determinant of a square matrix (up to 3×3 matrices), properties of determinants, minors, cofactors and applications of determinants in finding the area of a triangle. Adjoint and inverse of a square matrix. Consistency, inconsistency and number of solutions of system of linear equations by examples, solving system of linear equations in two or three variables (having unique solution) using inverse of a matrix.

CALCULUS (II)

1. Continuity and Differentiability :

Continuity and differentiability, derivative of composite functions, chain rule, derivatives of inverse trigonometric functions, derivative of implicit function. Concept of exponential and logarithmic functions and their derivatives. Logarithmic differentiation. Derivative of functions expressed in parametric forms. Second order derivatives, Rolle's and Lagrange's Mean Value Theorems (without proof) and their geometric interpretations.

2. Applications of Derivatives :

Applications of derivatives : rate of change, increasing/decreasing functions, tangents & normals, approximation, maxima and minima (first derivative test motivated geometrically and second derivative test given as a provable tool). Simple problems (that illustrate basic principle and understanding of the subject as well as real-life situations).

3. Integrals :

Integration as inverse process of differentiation. Integration of a variety of functions by substitution by partial fractions and by parts, only simple integrals. Definite integrals as a limit of a sum, Fundamental Theorem of Calculus (without proof). Basic properties of definite integrals and evaluation of definite integrals.

4. Applications of the Integrals :

Applications in finding the area under simple curves, especially lines, areas of circles / parabolas / ellipses (in standard form only), area between the two above said curves (the region should be clearly identifiable).

5. Differential Equations :

Definition, order and degree, general and particular solutions of a differential equation. Formation of differential equation whose general solution is given. Solution of differential equations by method of separation of variables, homogeneous differential equations of first order and first degree. Solutions of linear differential equation of the type:

$$\frac{dy}{dx} + py = q, \text{ where } p \text{ and } q \text{ are functions of } x.$$

VECTORS AND THREE DIMENSIONAL GEOMETRY (II)**1. Vectors :**

Vectors and scalars, magnitude and direction of a vector. Direction cosines / ratios of vectors. Types of vectors (equal unit zero parallel and collinear vectors), position vector of a point, negative of a vector, components of a vector, addition of vectors, multiplication of a vector by a scalar, position vector of a point dividing a line segment in a given ratio. Scalar (dot) product of vectors, projection of a vector on a line. Vector (cross) product of vectors.

2. Three - dimensional Geometry :

Direction cosines / ratios of a line joining two points. Cartesian and vector equation of a line, coplanar and skew lines, shortest distance between two lines. Cartesian and vector equation of a plane. Angle between (i) two lines, (ii) two planes, (iii) a line and a plane. Distance of a point from a plane.

LINEAR PROGRAMMING**1. Linear Programming :**

Introduction, definition of related terminology such as constraints, objective function, optimization, different types of linear programming (L.P.) problems, mathematical formulation of L.P. problems, graphical method of solution for problems in two variables, feasible and infeasible regions, feasible and infeasible solutions, optimal feasible solutions (up to three non-trivial constraints).

PROBABILITY (II)**1. Probability :**

Multiplication theorem on probability. Conditional probability, independent events, total probability, Baye's theorem, Random variable and its probability distribution, mean and variance of haphazard variable. Repeated independent (Bernoulli) trials and Binomial distribution.

BIOLOGY

DIVERSITY IN LIVING WORLD

- Diversity of living organism.
- Classification of the living organisms (five kingdom classification, major groups principles of classification within each kingdom).
- Systematics and binomial system of nomenclature.
- Salient features of animal (non chordates up to phylum level, and chordates up to class level) and plant (major groups; Angiosperms up to subclass) classification.
- Botanical garden, herbaria, zoological parks museums.

STRUCTURAL ORGANISATION IN ANIMALS AND PLANTS

Tissues in animals and plants.

Morphology, anatomy and functions of different parts of flowering plants : Root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit and seed.

Morphology, anatomy and functions of different systems of an annelid (earthworm), an insect (cockroach) and an amphibian (frog.)

CELL : STRUCTURE AND FUNCTION

Cell : Cell wall, cell membrane and cell organelles (plastids, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies/dictyosomes, ribosomes, lysosomes, vacuoles, centrioles) and nuclear organisation.

Mitosis, meiosis, cell cycle.

Basis chemical constituents of living bodies.

Structure and functions of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids.

Enzymes : Types, properties and function.

PLANT PHYSIOLOGY

Movement of water, food, nutrients and gases.

Plants and Water : Mineral nutrition

Respiration

Photosynthesis

Plant growth and development

HUMAN PHYSIOLOGY

Digestion and absorption.

Breathing and respiration

Body fluids and circulation

Excretory products and elimination

Locomotion and movement

Control and coordination

* SEXUAL REPRODUCTION

- Pollination and fertilization in flowering plants.
- Development of seeds and fruits.
- Human reproduction : reproductive system in male and female, menstrual cycle. Production of gametes, fertilization, implantation, embryo development, pregnancy and parturition.
- Reproductive health-birth control, contraception and sexually transmitted diseases.

GENETICS AND EVOLUTION

- Mendelian inheritance.
- Chromosome theory of inheritance, deviations from Mendelian ratio (gene interaction-Incomplete dominance, co-dominance, complementary genes, multiple alleles.)
- Sex determination in human beings: XX, XY.
- Linkage and crossing over.
- Inheritance pattern of haemophilia and blood groups in human beings.

- DNA : replication, transcription, translation.
- Gene expression and regulation.
- Genome and Human Genome Project.
- DNA fingerprinting.

Evolution : Theories and evidences.

BIOLOGY AND HUMAN WELFARE

- Animal husbandry.
- Basic concepts of immunology, vaccines.
- Pathogens, Parasites.
- Plant breeding, tissue culture, food production.
- Microbes in household food processing, industrial production, sewage treatment and energy generation.
- Cancer and AIDS.
- Adolescence and drug/alcohol abuse.

BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLIATIONS

- Recombinant DNA technology.
- Applications in Health, Agriculture and Industry.
- Genetically modified (GM) organism; biosafety issues.
- Insulin and Bt cotton.

ECOLOGY & ENVIRONMENT

Ecosystems: components, types and energy flow.

Species, population and community.

Ecological adaptations.

Centres of diversity and conservation of biodiversity, national parks and sanctuaries.

Environmental issues.

AGRICULTURE

I. **Introductory Agriculture and Agro meteorology**

- Definition of Agriculture, Brief history of Agriculture.
- Disciplines of Agriculture: Agronomy, Soil Science, Plant breeding and genetics, Horticulture, Entomology, Plant pathology, Extension education, Agricultural economics, Agricultural engineering, Agricultural statistics (One paragraph description on each discipline)
- National and International agricultural institutes in India.
- Agro climatic Zones of India and Bihar.
- Elements of Weather-rainfall, temperature, humidity, wind velocity, sunshine, weather forecasting' Climate change in relation to crop production.
- Tillage: Definition, Objective and types of tillage.
- Tillage implements (primary, secondary and inter tillage).
- Soil till, its importance and effect on soil properties.
- Tillage practices (conventional) Vs. conservation and zero tillage).
- Methods of sowing / planting, Depth of sowing, transplanting and harvesting.

II. **Soil as a medium of plant growth**

- Soil as a natural three dimensional resource.
- Soil classification, major soils of India/ Bihar.
- Soil profile, soil texture and structure, Soil Organism, Soil reaction / pH.
- Soil water.
- Soil fertility & productivity and their indicators.
- Essential plant nutrients, their functions and deficiency symptoms.
- Sufficiency and toxic levels of nutrients.
- Fertilizers, manures, bio-fertilizers, integrated nutrient management.
- Fertilizer placement, top dressing and foliar application.

III. **Plant breeding and genetics.**

- Mendel's Laws of inheritance and its exception and significance.
- Qualitative and quantitative traits and their inheritance.
- Plant Breeding: Definition, history, objective and its achievements.
- Heterosis, its basis and exploitation.
- Breeding methods for crop improvement:- Introduction, selection, hybridization, mutation, polyploidy, population improvement.
- Recent method of crop improvement, plant biotechnology and genetic engineering.
- Plant Genetic Resources: their collection, conservation and utilization.
- Seed: Formation, classification and multiplication.
- Intellectual Property Right: Definition, Classification and its importance.

IV. **Agricultural Engineering**

- Agricultural Implements:- cultivators, M.B. plough, Disc, Zero till seed drill, Rotavator, Power tiller, Tractor, Harvester
- Engine- I.C. Engine: parts of engine and their work. Working of I.C. Engine, Working of 2 and 4 stroke engines. Difference between 2 stroke and 4 stroke engine, Difference between diesel and petrol engine, problems and troubleshooting of engine, Maintenance of engine, Maintenance after 100 hours and Maintenance after 500 hours.
- Electric motor: D.C. and A.C. 3 phase induction motor, Single phase induction motor, Types of motor, Capacitor, Selection of electric motor.
- Sowing: Method of seeding or sowing, Seed-cum-fertilizer drill, Calibration of seed drill machine, thresher- its working and maintenance, winnower.
- Harvesting Equipment, working principle of mower, Problems and maintenance of harvesting equipments.

V. **Crop protection**

- Importance of crop insect-pests, diseases, nematodes, rodents.
- Important insect-pest and diseases of field crops, vegetables, fruits and stored grain pests and their management.
- Methods of control of insect-pest and disease:- Physical, Mechanical, Cultural, biological, chemical, antocidal, legal method and integrated pest management.
- Pesticides and their classification, symptoms of poisoning, First aids and antidotes.
- Harmful effects of insecticides.
- Effect of environment (temperature, moisture, wind, light, soil pH) on pest development.

Animal Husbandry, Dairy and Fish Production

- Importance of livestock in agriculture & industry
- Important developmental programmes by Central or State Government for improvement of livestock (Operation Flood)
- Important indigenous and exotic breeds of Cattle, buffalo, sheep, goat & poultry.
- System of housing in cattle & poultry.
- Principles of feeding.
- Management of cattles at the time of (i) calving (ii) new born calf (iii) heifers (iv) milch animals (v) pregnant animals and poultry (vi) Bullocks (Chicks pullets, Layers, Broilers)
- Principles of feeding of different classes of animals, calves, pregnant animals, lactating animals, Bullocks and Poultry (Chicks, Pullets, Layers & Broilers)
- Methods of conservation of green fodder (hay making & silage making)
- Sign of sick & healthy animals, etiology symptoms, prevention and control of common diseases in cattle & poultry. (i) Rinderpest (ii) Foot & mouth disease (iii) Rabies (iv) Haemorrhagic septicaemia (v) Black quarter (vi) Mastitis (vii) Trypanosomiasis (viii) Basesiosis (ix) Coccidiosis (x) Ranikhat disease (xi) Fowl pox (xii) I.B.D. or Gumboro disease.
- Artificial insemination (Definition, Benefits, Drawbacks).
- Principle and methods of milking, clean milk production.
- Modern methods of fish production.

Crop Production**Cultivation of crops:**

Economic importance, origin, distribution, soil and climatic requirement, varieties, cultural practices (Seed bed preparation, seed treatment, time and method of sowing/ planting, seed rate; dose, method and time of fertilizer application, irrigation, inter culture and weed control; common pests and diseases caused by bacteria, fungi, virus and nematode, integrated pest management, harvesting, threshing, post harvest technology, storage, processing and marketing and major production constraints) of following crops:

- Cereals: Paddy, Wheat, maize.
- Pulses: pigeon pea, gram, lentil, pea mung bean, urd bean.
- Oilseeds: Groundnut, rapeseed and mustard, Linseed, sunflower.
- Cash crops: Sugarcane, jute.
- Fodder and forage crops: Sorghum, maize, oat, napier grass berseem

Cropping system

- Crop rotation, sequential cropping, mixed cropping, inter cropping, parallel cropping multi-storied cropping, multiple cropping, cropping system / cropping pattern, cropping intensity.
- Important cropping system for rainfed and irrigated ecosystem of Bihar.

Soil and water management

- Water requirement, Irrigation requirement, concept of irrigation scheduling.
- Field capacity, permanent wilting point, plant available water.
- Method of irrigation.
- Importance of drainage, drainage methods.
- Problem soils and its management-saline alkaline, acid soil and water logged (Diara and Tal)

Weed management

1. Definition of weeds, Characteristics of weeds, Harmful and beneficial effects of weeds.
2. Crop-weed competition,
3. Weed management : Principles, mechanical, cultural, chemical, biological, Integrated weed management.
4. Herbicides.

Recent trends in agriculture

Organic farming, Integrated farming system, recycling of plant nutrients, precision farming, watershed management, ground water recharge, targeted yield concept.

Agricultural economics

- Major economic problems in agriculture.
- Role and share of agriculture in state economy.
- Land use classification.
- Land distribution and size of holding.

- Area, production, and productivity of major crops in the state with reference to country.
- Marketing of agricultural produce, cooperative farming, corporate farming, contract farming, integrated value chain

I. Basic Horticulture

- Importance of fruits and vegetables in human diet.
- Area & production of horticultural crops and its future prospect.
- Classification of horticultural crops according to climatic adaption and economic use.
- Planting system, high density orchard, training, pruning, intercropping and rejuvenation of fruit trees.
- Protection from frost and sunburn
- Plant propagation and nursery management.

II. Fruit Production

- Establishment of new orchards and its layout.
- Cultivation of major fruit crops :
Mango, Papaya, Banana, Guava, Citrus, Litchi, Strawberry, Coconut, Aonla, Ber, Jack fruit.

III. Vegetable production

- Cultivation practices of major vegetables -
Radish, Carrot, Sugar beet, Potato, Onion, Garlic, Chillies, Cauliflower, Brinjal, Tomato, Spinach, Cabbage, Elephant foot yam, Colocasia, Corriender, Pointed gourd, Bottle gourd, Bitter gourd, Sponge gourd and Cucumber, Bhindi, Cowpea, French bean, Pea.
- Nutritional kitchen gardening.

IV. Flowers, medicinal and aromatic plants

- Cultivation of Chrysanthemums, Roses, Dahlia, Marigold, Tube rose, Gladiolus.
- Cultivation of ornamental shrubs, avenue trees, and climbers.
- Cultivation of Mentha, Lemon grass, Citronella.
- Introduction of medicinal plants.

V. Presevation of fruits and vegetables

- Principles and methods of fruit and vegetable preservation.
- Preparation of fruit squash, jellies, jams, ketchup, chips, pickles and their packing.

VI. Extension education

- Extension education : Definition, Scope, Objective, Importance.
- Extension methods and tools.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941

No. 162]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2019

सं.भा.आ.प.-34(41)/2019-मेड./112862.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुनः संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" के परिशिष्ट "ज" में एमबीबीएस में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश को परिशिष्ट "ज-1" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./45/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली 1997" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017, 23.01.2018, 06.02.2018, 21.05.2018 और 05.02.2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट-ज-1

आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के संबंध में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

टिप्पणी:

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, 4 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
4. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का इस्तेमाल किए जाएगा।

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति* ख. प्रमत्तिष्कीय पक्षाघात** ग. बौनापन घ. मांसपेशीय डिस्ट्रोफी ङ. तेजाब के प्रहार से पीड़ित च. अन्य***जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता; 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला दर मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनकी कार्यात्मक सक्षमता, सहायक उपकरणों, यदि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, की सहायता से, यह देखने के लिए, निर्धारित की जाएगी कि क्या इसे 80% से नीचे लाया गया है और क्या उनके पास ऐसी पर्याप्त चालक योग्यता है, जो यह पाठ्यक्रम जारी रखने और संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है।	80% से अधिक विकलांगता
				* ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्गस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। **दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। ***चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।		
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता		40% के बराबर या

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रैंज			
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं	
					-	इससे अधिक विकलांगता	
		ग. श्रवण क्षति@	क. बहरा	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
			ख. कम सुनाई देना				
			<p>(*)40% से अधिक की दृष्टि क्षति/ दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टिसहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप/ मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए।</p> <p>@ 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए।</p> <p>इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60%से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।</p>				
		घ. वाक् एवं भाषा विकलांगताएं\$	आर्गनिक/तंत्रिय कारण	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
		<p>\$वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रममें पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) स्कोर 3 (तीन) से अधिक न हो, जोकि 40% या उससे कम हो।</p> <p>वाचाघात वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रममें पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वाचाघात लब्धि (एक्यू) 40%या उससे कम हो।</p>					
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विशिष्टज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधआत्मक विकलांगताएं, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक एफासिया)#	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।	40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता और 80% के बराबर या इससे कम विकलांगता। परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/ विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रैंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
			ख. आत्म-विमोह स्पेक्ट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए के अनुसार 40%-60% तक की विकलांगता) जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता और/या यदि व्यक्ति, विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए अनुपयुक्त बताया गया है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी झूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। "मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस" की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाएं जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुलऊतकदृढ़न ii. पार्किंसोनिज्म	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया ii. थ्रैलिसीमिया iii. सिक्कल सैल रोग	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रैंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	<p>उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक रोग विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है:</p> $क + \left[\frac{ख (90-क)}{90} \right]$ <p>(जहां क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकल्पित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष के मामले में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।</p>		

**BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION
OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA
AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2019

No.MCI-34(41)/2019-Med./112862.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Graduate Medical Education Regulation, 1997”, namely: —

1. (i) These Regulations may be called the “Graduate Medical Education Regulations, (Amendment), 2019”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Regulations on Graduate Medical Education, 1997”, in Appendix “H” - Guidelines regarding admission of students with “Specified Disabilities” under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS –shall be substituted with Appendix “H-1”.

DR. R. K. VATS, Secy. General

[Advt.-III/4/Exty./45/19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Graduate Medical Education Regulations, 1997” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018, 06/02/2018, 21/05/2018 & 05/02/2019.

Appendix “H - 1”

Guidelines regarding admission of students with “Specified Disabilities” under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS Course.

- Note : 1. The “Certificate of Disability” shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 15th June 2017.
2. The extent of “specified disability” in a person shall be assessed in accordance with the “Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)” notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4th January 2018.
3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
4. **The term ‘Persons with Disabilities’ (PwD) is to be used instead of the term ‘Physically Handicapped’ (PH).**

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their functional competency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily.	More than 80%
			b. Cerebral Palsy**			
			c. Dwarfism			
			d. Muscular Dystrophy			
			e. Acid attack victims			
			f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.			
		* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at.				
		** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at.				
		*** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for medical course.				
		B. Visual Impairment (*)	a. Blindness	Less than 40% disability		-
b. Low vision						
C. Hearing impairment@	a. Deaf	Less than 40% Disability		-	Equal to or more than 40% Disability	
	b. Hard of hearing					
(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue MBBS Course and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids						

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
			such as telescopes / magnifier etc. @ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue MBBS Course and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.			
		D. Speech & language disability\$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
		\$ Persons with Speech Intelligibility Affected (SIA) shall be eligible to pursue MBBS Courses, provided Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (three), which is 40% or below. Persons with Aphasia shall be eligible to pursue MBBS Courses, provided Aphasia Quotient (AQ) is 40% or below.				
2.	Intellectual disability	a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.	Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability and equal to or less than 80%. But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel.	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability.
		b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of upto 60% as per ISAA) where the individual is fit for MBBS course by an expert panel.	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	More than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is unfit for pursuing MBBS course by an expert panel.	
3.	Mental behaviour	Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.	

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism			
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassaemia			
		iii. Sickle cell disease				
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	<p>Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability.</p> <p>Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India</p> $a + \frac{b(90-a)}{90}$ <p>(where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities)</p> <p>is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual.</p>		

परिशिष्ट-2 (II)

फार्मैसी धारा एवं कृषि धारा के अधीन संस्थानों में दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगजन की अर्हता / योग्यता

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-11 / आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0-13062, पटना दिनांक 12.10.2017 एवं सा.प्र. 7162 पटना, दिनांक 31.05.2018 के अनुसार शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं-11/आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0 13062 पटना दिनांक 12.10.2017 में वर्णित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्सकीय जांच करानी होगी। जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा।
2. प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसी शैक्षणिक संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी दिव्यांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/ गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध होगी।
3. केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। (उपरोक्त संकल्प कॉडिका-V)
4. दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय तिथि तक लागू निदेशों का पालन किया जायेगा।

परिशिष्ट- 2(iii)

सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण

बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

बि० प्रा० (II) छात्र /02/2008/ 1647

पटना, दिनांक 08.06.2010

विषय :- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन हेतु स्थान आरक्षित करने के संबंध में ।

बिहार सरकार, औद्योगिक एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4182 दिनांक-02, अगस्त 1960 के द्वारा सैनिक कोटा के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय के सिविल तथा मेकेनिकल पाठ्यक्रम प्रत्येक में एक-एक स्थान एवं पटना पोलिटेकनिक में एक स्थान में नामांकन हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था । साथ ही, गृह विभाग (सैनिक पुनर्वास निदेशालय) के पत्र सं० 412, दि० 18.2.1985 द्वारा भी कार्यरत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन में स्थान आरक्षित किया गया था । इन प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में सेवारत सैनिक कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/ अविवाहित पुत्रियों / आश्रित सहोदर भाइयों / आश्रित अविवाहित सहोदर बहनों / आश्रित भतीजा तथा भतीजियों के लिए प्रत्येक अभियंत्रण/पोलिटेकनिक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त एक-एक सीट पर मेधा के आधार पर प्रवेश लिया जाता रहा है ।

2. उपर्युक्त प्रासंगिक संकल्प के संशोधन का मामला निम्न कारणों से राज्य सरकार के विचाराधीन था:-

(i) सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निदेश में भूतपूर्व / कार्यरत सैनिकों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मात्र उनके बच्चों हेतु स्थान आरक्षित किये जाने का उल्लेख है । इसके अलावा प्रासंगिक संकल्प में अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटेकनिक संस्थानों में मात्र भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है ।

(ii) संकल्प संख्या-4182 दिनांक 02 अगस्त 1960 की निर्गत होने की तिथि के बाद से राज्य में तकनीकी संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा उक्त संकल्प में सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के मामले में सभी पाठ्यक्रम तथा पोलिटेकनिक संस्थान के मामले में सभी पोलिटेकनिक संस्थानों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों का उल्लेख नहीं था ।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में कार्यरत है तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीट पर नामांकन की वैधता नहीं है ।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-456 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत सीट ही आरक्षित किये जाने का प्रावधान है ।

3. तदनुसार, कार्यरत / भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राज्य के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है:-

(i) सैनिक कोटा के अधीन राज्य के राजकीय अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत/ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों का ही नामांकन होगा बशर्ते बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वे सफल घोषित किये गये हैं ।

(ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र / पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्रि पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र-पुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत एक-एक सीट सैनिक कोटा के लिए आरक्षित होगा । सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित / अनारक्षित कोटि से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी । अर्थात्, यह आरक्षण क्षैतिज रूप में लागू होगा ।

(iv) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16/2003) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी ।

(v) उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2010-11 के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से लागू होंगे ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट-3

माडल प्रपत्र : फार्म-C.1

(निवास / आवासीय प्रमाण-पत्र)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति ग्राम / नगर

पोस्ट थाना प्रखण्ड

अनुमण्डल..... जिला राज्य के स्थायी निवासी हैं ।

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)

स्थान

दिनांक

MedCollegeDarshan.com

माडल प्रपत्र : फार्म-C.2
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)

कार्यालय का नाम
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

पुत्र / पुत्री गाँव / शहर

पोस्ट ऑफिस थाना अनुमण्डल

जिला राज्य समुदाय के सदस्य हैं,
जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र/पुत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस थाना अनुमण्डल जिला राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर
पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र : फार्म-C.2
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)

कार्यालय का नाम
पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति / श्री ग्राम / नगर

प्रखण्ड पोस्ट थाना

अनुमण्डल जिला राज्य समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस थाना अनुमण्डल जिला राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर
पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र : फार्म-C.3
(आय प्रमाण पत्र के लिये)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति ग्राम / नगर

पोस्ट थाना प्रखण्ड

अनुमण्डल..... जिला राज्य एवं उनके परिवार की

कुल वार्षिक आय निम्नांकित है :-

सरकारी सेवा से आय -

व्यवसाय से आय -

कृषि से आय -

अन्य स्रोतों से आय -

कुल आय (वार्षिक) -

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)
बिहार राज्य

स्थान

दिनांक

परिशिष्ट-4

मॉडल प्रपत्र

Schedule-I
(Form-I)

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of
_____ permanent resident fo _____, Village/Street
_____ Post Office _____ District _____ in the State

Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- i. 5 acres of agricultural land and above;
 - ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (State list).

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport
size attested
photograph of the
applicant.

*Note 1 : Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2021

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम :

- बिहार राज्य के संस्थानों में अभियंत्रण / फार्मेसी तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।
- बिहार राज्य के फिजियोथिरेपी, ओकुपेशनल थिरेपी महाविद्यालय / लोक स्वास्थ्य संस्थान के पारा मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम/ बी.एस.सी. (नर्सिंग) कॉलेज के बी.एस.सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।
- बिहार राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में कृषि / उद्यान एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में गव्य तकनीकी (डेयरी टेक०)/ मत्स्य विज्ञान / कृषि अभियंत्रण तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंतर्गत संस्थान के अभियंत्रण पाठ्यक्रम ।

आवश्यक

1. बी.सी.ई.सी.ई.-2021 से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियाँ :-

(i) Online Registration Starting Date	: 15.08.2021
(ii) Online Registration Closing Date	: 05.09.2021 (11:59 P.M.)
(iii) Last date of payment through Challan and submission of Online Application form of Registered candidate	: 07.09.2021 (Upto Banking hour)
(iv) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card and submission of the Online Application Form of Registered Candidate .	: 08.09.2021 (11:59 P.M.)
(v) Online Editing of Application Form	: 09.09.2021 to 11.09.2021 (11:59 P.M.)
(vi) Uploading of Online Admit Card	: यथासमय सूचित किया जायेगा।
(vii) Proposed Date of Examination	: यथासमय सूचित किया जायेगा।

2. आवेदन पत्र एवं विवरण पुस्तिका तथा परीक्षा-शुल्क

: देखें इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-7

3. कार्यालय (बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड) फोन नं.

: **0612-2220230 / फ़ैक्स-0612-2224346**

4. बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड वेबसाइट

: **bceceboard.bihar.gov.in**